मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम
(सुरक्षित शनिवार)

कार्यक्रम क्रियान्वयन दस्तावेज

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

शिक्षा विभाग/बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना - 800 001

व्यास जी, भा.प्र.से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष

का० : 0612-2522032
फैक्स : 0612-2532311
इ-मेल : vice_chairman@bsdma.org

–प्रस्तावना–

मानवीय मूल्यों की स्थापना, मानव सेवा के प्रति समर्पण एवं सर्वांगीण विकास ही शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। स्कूली शिक्षा ही देश के जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण की नींव है और सुरक्षित देश ही मूल्य आधारित शिक्षा के लिए वातावरण तैयार करता है। देश और समाज की सुरक्षा केवल असमाजिक तत्वों से करने की ही आवश्यकता नहीं होती अपितु ऐसी अनेक प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं हैं, जिनसे हमें अपने समाज, राज्य और देश को बचाने की आवश्यकता है। अतः शिक्षा और आपदाओं से सुरक्षा एक–दूसरे के पूरक हैं और एक–दूसरे के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायक होते हैं।

बिहार जैसे बहु आपदा प्रवण राज्य में आपदाओं की चुनौतियाँ बहुत व्यापक हैं। हमारे राज्य में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, चक्रवाती तूफान, अगलगी, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, डूबना, नाव दुर्घटना सहित सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं की प्रवणता अत्यधिक है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल परिस्थितियों से इन आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जो भविष्य में इनकी चुनौतियों की गंभीरता के बढ़ने का संकेत है।

आपदाओं में बच्चे, अति संवेदनशील होने के कारण, सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। साथ ही बच्चों को आपदाओं के प्रति सजग एवं जागरूक करके न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, अपितु उनके माध्यम से परिवार और समाज के एक बड़े हिस्से तक पहुँचा जा सकता है। ऐसे में हमें यह तय करना है कि हम बच्चों की शिक्षा में आपदा संबंधी जागरूकता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को किस प्रकार समाहित करें कि वे आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार हो सकें और समाज तथा राज्य को आपदा मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कड़ी साबित हो सकें।

इन्हीं उद्देश्यों के साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केन्द्रित कार्यक्रम चला रहा है। इसके अन्तर्गत जुलाई के प्रथम पखवाड़े में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा (1–15 जुलाई) एवं विद्यालय सुरक्षा दिवस (4 जुलाई) के माध्यम से सघन कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इस कार्यक्रम से प्राप्त अनुभवों एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) के अन्तर्गत संकल्पित "सुरक्षित शनिवार" (Safe Saturday) की अवधारणा को इस कार्यक्रम में समाहित कर इसे और अधिक नियमित व्यापक और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी है। घर से स्कूल, स्कूल में रहने के दौरान और स्कूल से वापस घर पहुँचने तक बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय, समाज एवं सरकार की है। आपदाओं से विद्यालय एवं बच्चों की सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है और इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अब तक संचालित मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (MSSP) में "सुरक्षित शनिवार" की अवधारणा तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश एवं NDMA के दिशा निर्देशों को समाहित करते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के साथ समन्वय कर विद्यालय सुरक्षा का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष के विभिन्न महीनों में प्रमुख रूप से आने वाली आपदाओं तथा अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं को केन्द्रित करते हुए उनके संबंध में "क्या करें– क्या न करें" की जानकारी प्रदान करते हुए बच्चों, अध्यापकों एवं अभिभावकों को किसी भी प्रकार की आपदाओं से निबटने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही विद्यालय के संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक जोखिमों की पहचान कर विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाएं भी तैयार कर इन जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय तलाशे जाएंगे।

इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाओं के साथ "सुरक्षित विद्यालय–सुरक्षित बिहार" की अवधारणा को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

(व्यास जी)
उपाध्यक्ष

आर. के. महाजन, (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव
R. K. Mahajan, I.A.S.
Principal Secretary

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
विकास भवन, पटना – 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Education Department
VIKAS BHAWAN, PATNA - 800 015
Tel. : 0612-2217016 (O), Fax : 0612-2235108
E-mail : secy-edn-bih@nic.in

शुभकामना संदेश

राज्य में घटित विभिन्न आपदा जनित घटनाओं का स्कूली बच्चों एवं उनके शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे- आपदा के कारण विद्यालयों का बंद हो जाना या विद्यालयों में राहत केन्द्रों आदि का संचालित होना, विद्यालय जाने के रास्ते अवरूद्ध हो जाना, बच्चों का विद्यालय न आना, बच्चों का जीवन/स्वास्थ्य संकट में पड़ जाना आदि। बच्चे को अपने घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर लौटने के क्रम में विभिन्न आपदाओं से बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करने एवं नियमित शिक्षण में आनेवाली बाधाओं को दूर करने की अत्यंत आवश्यकता है।

विद्यालय सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को निरंतर एवं अनवरत रूप से जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से सुरक्षित शनिवार (Safe Saturday) का क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों के कौशल विकास एवं क्षमतावर्द्धन के साथ-साथ विभिन्न आपदाओं से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन एवं उससे संबंधित नियमित अभ्यास कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत् इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को खेल-खेल में कैसे एक सुरक्षित समाज और उससे भी बढ़कर सुरक्षित बिहार बनाने की ओर प्रेरित किया जा सके।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर से जिला स्तर, प्रखण्ड स्तर एवं विद्यालय स्तर तक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य है कि राज्य के सभी विद्यालयों के कम से कम एक शिक्षक को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न चरणों एवं किस तरह से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बच्चों के बीच संचालित किया जाएगा की विस्तृत जानकारी दी जा सके।

इस हेतु इस कार्यक्रम को एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है। तदनुसार शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण माडयूल एवं संदर्भ पुस्तिका विकसित की गई हैं जो इस कार्यक्रम के संचालन एवं प्रशिक्षण में मददगार साबित होगी।

शुभकामनाओं के साथ,

(आर. के. महाजन)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

Sanjay Singh, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

संदेश

बच्चों के समग्र विकास में शिक्षा एवं उससे जुड़े गैर–शिक्षण गुणात्मक क्रिया–कलापों का अहम् योगदान है। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुरक्षित वातावरण का होना अति आवश्यक है। बिहार जैसे बहु–आपदा प्रवण राज्य में विभिन्न आपदा जनित घटनाओं से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों के लिए विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ वे सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। आपदाओं के समय विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ–साथ शिक्षण कार्य पूर्णतः अवरूद्ध हो जाता है, जिससे बच्चों का वैयक्तिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास बाधित हो जाता है।

इस परिपेक्ष्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य आवश्यक हो गया है। विद्यालय सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए राज्य में **''मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम''** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। ''मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम'' प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में राज्य के सभी विद्यालयों में आपदाओं से बचाव हेतु मॉकड्रिल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से अबतक बच्चों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जाता रहा है। इस कार्यक्रम को वर्ष में एक बार संचालित करने के स्थान पर निरंतरता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अतएव राज्य के सभी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में ''सुरक्षित शनिवार'' के माध्यम से बच्चों को आपदाओं से होनेवाली क्षति को कम करने के प्रति जागरूक करने की दिशा में यह एक अग्रेत्तर कार्रवाई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से छात्र–छात्राओं को विभिन्न आपदाओं से बचाव के तरीकों संबंधी जानकारी हेतु शिक्षकों के लिए संदर्भ पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक के सभी हितभागियों को आपदाओं के कुप्रभाव को कम करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम'' के अंतर्गत आयोजित होनेवाले ''**सुरक्षित शनिवार**'' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में भरपूर सहयोग हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् हमेशा तत्पर रहेगा।

(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

BRAJ BHUSHAN/C:\Users\Hp\Desktop\New SPD Ltr Head -2017-18.doc

☎:0612-2667163/2667168, fax: 0612-2667190, Email: ssabihar@gmail.com, Website www.bepcssa.in

विषय –सूची

vè;k; &1 1-1 i"BHkfeA

1-2 fo|ky; lqj{kk dk;ZØe dk vkfpR;A

1-3 cPpksa ds f'k{kk dk vfèkdkj rFkk vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa iqcZèkuA

vè;k; &2 eq[;eU=h fo|ky; lqj{kk dk;ZØe dh :ijs[kk&

2-1 dk;ZØe y{; ,oa mís';

2-2 dk;ZØe ds ?kVd

2-3-1 fo|ky;ksa ds lajpukRed lqn<+hdj.k

2-3-2 fo|ky;ksa ds xSj& lajpukRed lqn<+hdj.k

2-3-3 leqnk;'kh vkink tksf[ke U;wuhdj.k

2-3-4 fo|ky;ksa esa Þlqjf{kr 'kfuokjß dk fØ;kUo;u

vè;k;&3 3-1 fofHkUu lgHkkfx;ksa ds dk;Znkf;Ro ,oa ftEesnkfj;kA

vè;k;&4 fo|ky; lqj{kk dk;ZØe dk vuqJo.k ,oa eY;kaduA

4-1 vuqJo.k

4-2 eY;kadu

vuqyXud&1 Hkkjr ,oa fcgkj ds fo|ky;ksa esa ?kfVr iqe[k gknls A

vuqyXud&2 jkT; esa lapkfyr fd;s x;s fo|ky; lqj{kk dk;ZØeksa dh oLrq&fLFkfr ,oa vuqHkoA

vuqyXud&3 jSfiM fotqvy LØhfuax (RVS) gsrq ekud psdfyLVA

vuqyXud&4 xSj&lajpukRed **Elements** ds psdfyLVA

vuqyXud&5 5-1 fo|ky; vkink iqcZèku lfefr ds xBu izfØ;kA

5-2 fo|ky; ds vUrxZr rFkk mlds vklikl ds {ks=ksa esa tksf[keksa dh igpku djus dh izfØ;kA

5-3 fo|ky; vkink iqcZèku ;kstuk cukus dk rjhdkA

5-4 cPpksa dks tkudkjh@Kku ,oa dkS'ky fodkl gsrq {kerk of} dh izfØ;kA

vuqyXud&6 Lkqjf{kr 'kfuokj dh okf"kZd&lkj.khA

vuqyXud&7 jkT; Lrj ls fo|ky; Lrj rd dh izf'k{k.k dk;Z;kstukA

vuqyXud&8 fo|ky; lqj{kk dk;ZØe ds vuqJo.k i=A

vuqyXud&9 vkbZ0bZ0lh0 lkefxz;ksa ds mi;ksx ls lacfèkr dk;Z;kstukA

अध्याय-1

1.1 i"BHkfe&

बच्चों के समग्र विकास में शिक्षा एवं शिक्षा के सुरक्षित वातावरण की अहम् भूमिका है। विभिन्न आपदा जनित घटनाओं का स्कूली बच्चों एवं उनके शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे, आपदा के कारण विद्यालयों का बंद हो जाना या विद्यालयों में राहत केन्द्रों आदि का संचालित होना, विद्यालय जाने के रास्ते अवरूद्ध हो जाना, बच्चों का विद्यालय न आना, बच्चों का जीवन/स्वास्थ्य संकट में पड़ जाना आदि। बच्चों के लिए विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ वे सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चे अपने घर से विद्यालय एवं विद्यालय से पुनः घर लौटने के क्रम में कई आपदाओं के जोखिमों का सामना भी करते हैं। आपदाओं के समय विद्यालय की अन्य गतिविधियाँ एवं शिक्षण कार्य अवरूद्ध हो जाने के कारण बच्चों का वैयक्तिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास बाधित हो जाता है। आपदाओं से बच्चों के घायल हो जाने एवं यहाँ तक कि मृत्यु तक की स्थितियॉ उत्पन्न हो जाती है। आपदाओं के कारण बच्चे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते है। इन स्थितियों में विद्यालय में बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति कम हो जाती है और धीरे–धीरे बच्चों के छीजन दर (ड्राप आऊट) में वृद्धि होती जाती है।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को आपदा से सुरक्षित बनाने एवं बच्चों को सुरक्षित रखने की नितांत आवश्यकता है। इस परिपेक्ष्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य आवश्यकता हो गया है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 7 वीं बैठक दिनांक 24.05.2013 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को पूरे राज्य में संचालित करने का निर्णय लिया गया जिसका नामकरण Þe[;ea=h fo|ky; lqj{kk dk;ZØeÞ के रूप में किया गया है। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों को आपदाओं से सुरक्षित बनाया जाए एवं बच्चों को निरापद रखा जाए। प्रयास यह भी है कि विभिन्न आपदाओं की रोकथाम एवं उनके कुप्रभावों को कम करने (Mitigation) के प्रति बच्चों, शिक्षकों और उनके माध्यम से समाज को जागरूक किया जाय ताकि अगली पीढ़ी आपदाओं को रोकने एवं उनसे निपटने में सक्षम हो सके। बिहार राज्य में सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (वर्ष 2015–2030) स्वीकृत किया गया है, जिसमें विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को प्रमुखता से समाहित किया गया है।

1-2 fo|ky; lqj{kk dk;ZØe dk vkfpR;

बिहार राज्य बहु आपदा प्रवण राज्य है, जो प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से कमोवेश प्रतिवर्ष प्रभावित होता रहता है। राज्य के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक जोन V तथा 24 जिले जोन IV तथा शेष 6 जिले जोन III में आते हैं। इस प्रकार पूरा बिहार भूकम्प प्रवण है। बाढ़ की संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य के 15 जिले अति बाढ़ प्रवण तथा 13 जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं। अगर गत वर्षो की बाढ़ के ऑकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो जमुई एवं बाँका को छोड़कर राज्य के सभी जिलों के कुछ न कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं। वर्ष 2016 की बाढ़ में राज्य के 38 जिले में से 31 जिले बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। वे जिले भी बाढ़ प्रभावित हुए थे जिन्हें बाढ़ प्रवण नहीं माना जाता। राज्य का दक्षिणी भूभाग सुखाड़ प्रवण है। परंतु पिछले 10 वर्षों के ऑकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अल्प एवं अनियमित वर्षापात् के कारण राज्य के बाढ़ प्रवण जिले भी सुखाड़ की चपेट में आ जाते है। सड़क दुर्घटना, वज्रपात, अगलगी, चक्रवाती तूफान, नाव दुर्घटना एवं डूबने से प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य शीतलहर एवं लू से भी प्रभावित होता रहता है।

ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित होनेवाले बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें आपदाओं के प्रभाव को सहन करने की क्षमता वयस्कों जितनी नहीं होती। पूरे देश में घटित पिछली कुछ विनाशकारी घटनाओं पर नजर डालने से पता चलता है कि असुरक्षित निर्माणों के ढह जाने, जानकारियों के अभाव, पहले से तैयारी न होने एवं आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी न होने के कारण विद्यालयों एवं घरों में बच्चों की ही मौतें ज्यादा हुई हैं। देश तथा राज्य में घटित कतिपय आपदाओं से विद्यालयों तथा बच्चों को हुए नुकसान की विवरणी vuqyXud&1 पर देखी जा सकती है।

आपदाओं से बच्चों के कुप्रभावित होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि बच्चे किसी भी योजना निर्माण अथवा निर्णय का हिस्सा नहीं बनाये जाते, चाहे वह घर की कोई योजना हो या विद्यालय तथा सामुदायिक स्तर की कोई योजना हो। इस कारण उनकी क्षमतावृद्धि नहीं हो पाती है और वे बहुत सारी आपदारोधी क्षमतावृद्धि के लिए आवश्यक जानकारियों से वंचित रहते है। बच्चों की क्षमतावृद्धि से संपर्क का सशक्त माध्यम विद्यालय है। बिहार में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होनेवाले जिलों की कुल आबादी का लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है, अर्थात् लगभग आधी आबादी नई पौध की है। यदि बच्चे आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस में सक्रिय रूप से जुड़ेंगे तो न केवल वे सुरक्षित रहेंगे अपितु उनके माध्यम से समाज एवं राज्य को सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी।

1.3 cPpksa ds f'k{kk dk vfèkdkj rFkk vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa izcaèku

बच्चों के शिक्षा का अधिकार तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के स्तर पर अनेक नीतियाँ, दिशा– निर्देश, अधिनियम पारित किये गये हैं जिनके आलोक में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को महत्वपूर्ण दिशा दी जा सकती है। इनमें प्रमुख प्रावधानों का वर्णन निम्नरूपेण किया जा रहा है –

1.3.1 cPpksa ds fy, fu%'kqYd ,oa vfuok;Z f'k{kk dk vfèkdkj vfèkfu;e] 2009

यह कानून 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को युक्तिसंगत, गुण, समदृष्टि के सिद्धांतों पर आधारित और विभेदीकरण से रहित शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिकार बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से नामांकन, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता का अवसर प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बच्चों के लिए भय, तनाव और चिंता से मुक्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम में कई प्रावधान है, उदाहरण के तौर पर यह विद्यालयों में शारीरिक दंड, और निष्कासन का प्रतिरोध करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षकों के उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करता है। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे सीख रहे हैं और उन्हें सुरक्षित वातावरण में सीखने का अधिकार मिल रहा है अर्थात् असुरक्षित वातावरण से उपजे तनाव और चिंता से उनकी स्वतंत्रता भंग तो नहीं हो रही।

1.3.2 â;ksxks vkink tksf[ke U;wuhdj.k ÝseodZ ¼2005&2015½

वर्ष 2005 में, विश्व के सभी देशों ने आपदा जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई करने हेतु अपनी–अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और प्राकृतिक आपदाओं से होनेवाले खतरों की अतिसंवेदनशीलता को कम करने के लिए एक दिशा–निर्देश बनाया, जिसे (HFA) ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन कहा जाता है। ह्योगो फ्रेमवर्क ने राष्ट्रों और समुदायों के प्रयासों को और अधिक सुरक्षित (Resilient) करने में मदद की, जिससे विकास कार्यों से होने वाले फायदों को उन खतरों से बचाने हेतु ज्यादा सक्षम बनाया जा सका। लोगों की सहमति से यह निर्धारित किया गया कि सभी हितभागियों को मिलकर आपदा जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है चाहे वो अलग–अलग देशों की सरकारें हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हों अथवा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हों अथवा कोई और हो। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पाँच प्राथमिकताओं की रूपरेखा को निर्धारित किया गया। इसका लक्ष्य उस समय 2015 तक निर्धारित किया गया था।

प्राथमिकता 1 – सुनिश्चित करना है कि आपदा जोखिम में कमी लाना एक राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता है जिसके क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत संस्थागत संरचना होनी चाहिए।

प्राथमिकता 2 – आपदा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं निगरानी तथा प्रारंभिक चेतावनी को बढ़ावा दिया जाय।

प्राथमिकता 3 – सभी स्तरों पर Safety एवं Resilience की संस्कृति का निर्माण करने के लिए ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग करें।

प्राथमिकता 4 – अंतर्निहित जोखिमों के कारकों को कम करें।

प्राथमिकता 5 – सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को मजबूत बनायें।

1.3.3 vkink icaèku vfèkfu;e 2005

भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद आपदा प्रबंधन का परिदृश्य (Paradigm) बदल गया है। अब आपदा प्रबंधन मात्र रिलीफ केन्द्रित नहीं रह गया है अपितु आपदाओं की रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation), तैयारी (Preparedness), रिस्पांस (Response), पुर्नस्थापन (Rehabilitation) एवं पुर्ननिर्माण (Reconstruction) आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक माने जा रहे हैं। शमन की अवधारणा भी बदल रही है एवं इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की संरचना की कल्पना की गयी है।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी और सह–अध्यक्ष जिला पंचायती राज के अध्यक्ष होते हैं।

अधिनियम में केन्द्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा त्रि–स्तरीय प्राधिकरणों को आपदा प्रबंधन के सुपरिभाषित दायित्व सौपे गये हैं।

अधिनियम में आपदा को परिभाषित कर उसमें प्राकृतिक आपदाओं, मानव जनित आपदाओं एवं पर्यावरण क्षरण जनित आपदाओं को समाहित किया गया है।

1.3.4 jk"Vh; vkink icaèku uhfr 2009

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी और रिस्पांस की संस्कृति के जरिये समग्र, बहु–आपदा केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित रणनीति विकसित करके सुरक्षित एवं आपदा से निपटने में सक्षम भारत के निर्माण की परिकल्पना करती है। इसमें सिविल सोसाईटी को शामिल करके आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता लाने एवं जबाबदेह बनाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 की प्रमुख बातें निम्न हैं–

- आपदा प्रबंधन के लिए रोकथाम, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के लिए एक समग्र और क्रियाशील दृष्टिकोण अपनाना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रत्येक मंत्रालयों एवं विभागों को आपदा प्रबंधन हेतु संवेदित करना और पूर्व तैयारी से संबंधित विशिष्ट योजनाओं एवं पद्धतियों के लिए एक सुनिश्चित निधि की व्यवस्था करना।
- जहाँ बहुत सारी परियोजनाएँ पंक्ति में हैं वहाँ आपदा न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। पूर्व से चल रहे परियोजनाओं और योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण के उपायों को समाहित करना।
- आपदा से संभावित खतरों वाले क्षेत्रों की प्रत्येक परियोजना में न्यूनीकरण के उपायों का समावेश करना एक आवश्यक विचारणीय विषय होगा। परियोजना रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णित होना चाहिए कि यह परियोजना किस प्रकार आपदाओं के संवेदनशीलता व खतरों को कम करने के उपायों को समाहित करता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों एवं मीडिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुये आपदा की रोकथाम तथा संवेदनशीलता को कम करने का प्रयास करना।
- सुनियोजित एवं त्वरित कार्यवाही के लिए संस्थागत ढांचा या कमांड चेन का निर्माण तथा आपदा प्रबंधकों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- क्षमता निर्माण के उपायों के लिए कार्ययोजना एवं तैयारियों की संस्कृति प्रत्येक स्तर पर निर्मित करना।

- विशेष प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर तथा केन्द्र सरकार से संबंधित विभागों में मानक संचालन कार्यप्रणाली और आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का निर्माण करना।
- निर्माण प्रारूप (कंस्ट्रक्शन डिजाईन) उपयुक्त भारतीय मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार करना।
- भूकंप जोन III, IV, और V में आने वाले जीवनदायी इमारतें (Lifeline Buildings) जैसे कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एव उसके कंट्रोल टावर्स, अग्निशमन केन्द्र, बस स्टेशन, विद्यालय भवन, मुख्य प्रशासनिक भवन आदि का आकलन करके आवश्यकतानुसार उस संरचना का सुदृढ़ीकरण करना।
- वर्तमान में सभी राज्यों में लागू रिलीफ नियमावली में संशोधन कर उन्हें आपदा प्रबंधन नियमावली के रूप में विकसित करना ताकि कार्ययोजना निर्माण पद्धति को संस्थागत करके न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
- आपदाओं के खतरों को स्थायी एवं प्रभावी रूप से कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी एवं जागरूकता निर्माण के लिए संवेदनशील आबादी के विभिन्न घटकों यथा महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देना।

1.3.5 lMbl vkink tkf[ke U;uhdj.k Ýeodl ¼y{; ,o ikFkfedrk,½

- सेंडई (जापान) में तीसरा विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के 187 देशों ने मिलकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण का 15 वर्षीय फ्रेमवर्क तैयार किया।
- इस सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 7 (सात) लक्ष्य एवं 4 (चार) प्राथमिकताएँ तय की गईं।
- vkink tkf[ke U;uhdj.k gr 7 ¼lkr½ y{; fuEu idkj g&
  - वर्ष 2020 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में काफी हद तक कमी लाना।
  - वर्ष 2030 तक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में काफी हद तक कमी लाना।
  - वैश्विक सकल धरेलू उत्पाद की तुलना में आपदाओं से होने वाली क्षति को वर्ष 2030 तक कम करना।
  - नाजुक आधारभूत संरचनाओं एवं बुनियादी सुविधाओं में आपदाओं से होने वाली क्षति को वर्ष 2030 तक काफी हद तक कमी लाना।
  - राष्ट्रीय एवं स्थानीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति से युक्त देशों की संख्या में वृद्धि करना।
  - विकसित देशों को आपदा न्यूनीकरण के कार्यक्रमों में पर्याप्त एवं सतत् सहायता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - पूर्व चेतावनी तंत्र, आपदा जोखिम सूचनाओं एवं जोखिम मूल्यांकन की उपलब्धता तथा उन तक आम लोगों की पहुँच बढ़ाना।
- 4 ¼pkj½ ikFkfedrk, fuEukulkj g&
  - आपदा जोखिम की समझ विकसित करना।
  - आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश।
  - प्रभावी रिस्पांस के लिए पूर्व तैयारियों तथा "पूर्व से बेहतर" पुनर्वासन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना।

1.3.6 fcgkj vkink tkf[ke U;uhdj.k jkMei] 2015&2030

- सेंडई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार ने भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 15 वर्षों का एक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया।
- बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) में सभी संबंद्ध विभागों एवं एजेन्सियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सुपरिभाषित दायित्व सौपें गये है।
- इस रोडमैप के अर्न्तगत बिहार के आपदा प्रभावित जिलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है– ß,ß] ßchÞ और 1hßA ß,Þ श्रेणी के जिले सर्वाधिक आपदा प्रवण जिले हैं और ये भूकंप के जोन V में आते हैं तथा अत्यधिक बाढ़ प्रवण जिले हैं। श्रेणी Þchß के जिले मध्यम श्रेणी के आपदा प्रवण जिले हैं और श्रेणी ß1hÞ के जिले सुखाड़ प्रवण जिले हैं।
- vkink tkf[ke U;uhdj.k jkMei ¼2015&2030½ d fØ;kUo;u d ikp ie[k LrEHk g&
    - सुरक्षित ग्राम
    - सुरक्षित नगर
    - सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ
    - सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ
    - सुरक्षित आजिविका
- vkink tkf[ke U;uhdj.k jkMei ¼2015&2030½ d vrxr 4 ¼pkj½ y{; fuèkkfjr fd;s x;s g&
    - o बिहार में आपदाओं से होनेवाली मौतों को वर्ष 2030 तक 75 प्रतिशत तक कम कर लिया जाएगा।
    - o बिहार में सड़क, रेल या नाव दुर्घटना में होनेवाली मौतों को वर्ष 2030 तक काफी हद तक कम कर लिया जाएगा।
    - o बिहार में आपदा से प्रभावित होने वालों की संख्या वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक कम कर लिया जाएगा।
    - o बिहार में आपदा से होने वाले नुकसान को वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक कम कर लिया जाएगा।

1-3-7 jk"Vh; fo|ky; lj{kk uhfr ekxnf'kdk (National School Safety Policy Guidelines-NDMA)

इस मार्गदर्शिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक) तथा अन्य हितधारकों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से उत्पन्न होनेवाले खतरों एवं उसके जोखिमों को कम करने में सक्षम किया जा सके। यह मार्गदर्शिका देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित सभी विद्यालयों के बच्चों को आपदाओं के कुप्रभाव से सुरक्षित (Resilient) बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। इस मार्गदर्शिका के अनुरूप विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे किसी भी प्रकार के आपदाओं के जोखिम से सुरक्षित होगें, जिससे शिक्षा के अधिकार कानून का भी अनुपालन हो सकेगा।

jk"Vh; fo|ky; lj{kk uhfr ekxnf'kdk dh e[; ckr fuEukulkj g &

- बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित करने हेतु प्रभावी, समावेशी और समग्र उपाय किये जाएँ।
- बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों खासकर राज्य स्तर से प्रखंड स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों की विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा पूर्व तैयारियों के प्रति जागरूकता, क्षमता, कौशल एवं

व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया जाए।

- बच्चों को केंद्रित कर विद्यालय/स्थानीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन।
- आपदाओं के जोखिमों को कम करने के विभिन्न उपायों को पाठ्य–पुस्तकों एवं पाठ्य चर्चा में समावेशित कर मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
- विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न आयामों को सरकारी कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रकार के बाल–सुरक्षा नीतियों से संबद्ध किया जाए।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों में वर्णित बाल–अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ–साथ आपस में समन्वय स्थापित कर विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

1.3.8 fo|ky; lj{kk l lcfèkr ekuuh; lokPp U;k;ky; e nk;j ;kfpdk l[;k 483 @ 2004] vfouk'k egjk=k cuke ;fu;u vkQ bfM;k] d fnukd 14-08-2017 d Qly; e Hkkjr ljdkj ,o jkT; ljdkjk dk fo|ky;k e cPpk dh lj{kk gr fuEu dkjokbl;k lfuf'pr dju dk U;k;&fu.k; fn;k x;k g %

- देश के सभी बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा दिया जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि बच्चों की सुरक्षा हेतु बनाये गये राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति, तथा मार्गदर्शिका के नियमों एवं विनियमों का सख्ती से अनुपालन हो।
- बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं और सावधानियों के लिए मैनुअल विकसित कर उसे अक्षरशः क्रियान्वित किया जाय।
- विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से विद्यालयों की सुरक्षा के बावत उत्तरोत्तर कार्रवाई हेतु प्रबंधन योजना बनायी जाय जिसमें बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय समुदाय के सदस्यों एवं अन्य हितभागियों की जिम्मेवारियाँ तय करने के साथ–साथ संचार व्यवस्था, प्रशिक्षण इत्यादि उल्लेखित हो।
- विद्यालयों के भवन निर्माण में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता में प्रावधानित सुरक्षा मानदण्डों का पालन हो।

उपरोक्त परिपेक्ष्य एवं पृष्ठभूमि में राज्य के विद्यालयों में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग / बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा विद्यालय सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम किये जा रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा भी राज्य के 6 जिलों में विद्यालय सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का विवरण vuyXud &2 पर अंकित है। विद्यालय सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए ही राज्य में Þe[;e=h fo|ky; lj{kk dk;Øeß प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" के अर्न्तगत मुख्यतः प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में राज्य के सभी विद्यालयों में आपदाओं से बचाव हेतु मॉकड्रिल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जाता है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में "सुरक्षित शनिवार" के माध्यम से इस कार्यक्रम को वर्ष में एक बार संचालित करने के स्थान पर निरंतरता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग / बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एवं यूनिसेफ द्वारा संचालित विद्यालय सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों से प्राप्त सीखों एवं ßlqjf{kr 'kfuokjÞ की अवधारणा को समेटते हुए "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" को विस्तारित करते हुए इसकी पूरी अवधारणा को नया कलेवर दिया जा रहा है। आगे के अध्यायों में इस कार्यक्रम के विस्तृत स्वरूप एवं नए कलेवर को रेखांकित किया गया है।

अध्याय -2

''मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम'' की रूपरेखा

2-1 dk;Øe dk y{; ,oa mís';&

राज्य के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य Þ?kj ls fo|ky; ,oa fo|ky; ls ?kj rdß विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करना एवं नियमित शिक्षण में आनेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक (Substantially) कमी लाना है।

mís'; %

1-विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक, अभिभावक) में आपदाओं के जोखिमों की पहचान एवं उनके कुप्रभावों को कम करने के उपायों की समझ एवं क्षमता विकसित करना।

2.विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को नियमित शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर बच्चों में आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना।

3.विद्यालय परिसर को आपदा जोखिमों (संरचनात्मक/गैर–संरचनात्मक) से सुरक्षित रखना।

4.बच्चों के माध्यम से राज्य में आपदाओं से सुरक्षा (Resilience) की संस्कृति विकसित करना।

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम मूलतः गतिविधि उन्मुख (Activity Oriented) कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को न केवल जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा बल्कि उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम आपदाओं की रोकथाम विशेषकर आपदा पूर्व तैयारियों एवं आपदाओं के प्रभावों को कम करने पर केन्द्रित रहेगा।

2-2 dk;Øe ds ?kVd ¼Components)

इस कार्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण घटक होंगे–

- विद्यालयों का संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण
- समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं
- सुरक्षित शनिवार के माध्यम से विद्यालय समुदाय का क्षमतावर्द्धन।

विद्यालय सुरक्षा के अन्तर्गत बहु–आपदीय जोखिमों से खतरे का संज्ञान लेना आवश्यक है ताकि विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु कारगर उपाय की जानकारी प्रदान कर बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अन्तर्गत न केवल प्राकृतिक आपदाओं से बचाव बल्कि मानव जनित आपदाओं से भी बचाव की जानकारी देना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में cPpk dh lqj{kk ?kj ls fo|ky; ,oa fo|ky; ls iqu% ?kj ykSVus rd gksuk pkfg,A

विद्यालय सुरक्षा के संबंध में यह जरूरी है कि विद्यालय भवनों के संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाय।

विभिन्न आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय समुदाय में समग्र रूप से प्रत्यक्ष दिखने वाले एवं संभावित खतरों, जो अचानक आते हैं अथवा धीरे–धीरे विकसित होते हैं, का विश्लेषण एवं उनके समुचित न्यूनीकरण की समझ एवं क्षमता होनी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के उपरोक्त घटकों की विस्तृत विवेचना नीचे दी गयी है :

2-2-1 fo|ky;ksa dk lajpukRed lqn`<+hdj.k& विद्यालय भवनों की संरचना के अन्तर्गत उस भवन के अपने वजन, भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उसमें रहने वाले व्यक्तियों के वजन तथा आँधी एवं भूकम्पन संघात को वहन करने के लिए दो प्रकार की संरचना का डिजाईन एवं निर्माण किया जाता है–

- भार वाहक– सामान्यतः भारवाहक दीवार पर छत रखकर बनाये गये भवनों के नींव, पीलर, दीवार एवं बीम इसके संरचनात्मक अंग होते हैं।
- आर. सी. सी. फ्रेम संरचना– आर.सी.सी. फ्रेम संरचना वाले भवनों में छत ढालने के बाद कमरों की दीवारें बनायी जाती हैं, लेकिन वह संरचना का अंग नहीं होतीं। आर.सी.सी. फ्रेम संरचना वाले भवनों में नींव, पीलर, बीम एवं स्लैब संरचना के अंग होते हैं।
- पूर्व से निर्मित एवं नए निर्मित होने वाले दोनों तरह के विद्यालय भवनों का संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण बेहद जरूरी है। पूर्व निर्मित विद्यालय भवनों के सुरक्षित होनें/ न होने की जानकारी रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग के माध्यम से प्राप्त कर आवश्यकतानुसार कम सुरक्षित भवनों को रेट्रोफिटिंग तकनीक अपनाकर सुदृढ़ किया जा सकता है।
- पूर्व से निर्मित भवनों को बाढ़ एवं चक्रवाती तूफान से सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी।

d- iol l fufEkr fo|ky; Hkouk dk jfiM fotvy LØhfux ¼Rapid Visual Screening½ ,o jVkfQfVx& विद्यालयों की संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित विद्यालय भवनों का चरणबद्ध रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (Rapid Visual Screening) कराया जायगा। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग के अभियंताओं को भूकम्परोधी तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा ताकि वे निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यालयों का रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग करा सकें। रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण करके प्रखंडवार प्राथमिकता के आधार पर अलग–अलग श्रेणियों में बाँटकर आवश्यकतानुसार विद्यालयों के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा रेट्रोफिटिंग कराया जाएगा। इस कार्य में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग के मानकों का चेकलिस्ट vuyXud &3 में संलग्न है।

[k- पूर्व से निर्मित भवनों को भूकम्प के अलावा अन्य आपदाओं से सुरक्षित करने तथा दिव्यांग मित्रवत् बनाने के भी आवश्यक उपाय शिक्षा विभाग द्वारा करने होगें।

x- u; fo|ky;k dk vkinkjkèkh rduhd l fuek.k %

- बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030 में राज्य सरकार का निर्णय है कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा जो भी नया निर्माण होगा। वह आपदारोधी एवं दिव्यांग– मित्रवत् होगा।
- नये विद्यालय का निर्माण ऐसे स्थल पर होना चाहिए जहाँ आसन्न प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से बचाव के पर्याप्त उपाय पूर्व से ही किये गये हों। साथ ही असुरक्षित स्थानों पर स्थित मौजूदा विद्यालयों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। यदि यह संभव न हो तो ऐसे विद्यालयों को संभावित आपदा जोखिमों एवं खतरों से बचाव हेतु कारगर उपाय करने होंगे।
- सभी नये विद्यालयों के निर्माण में क्षेत्र विशेष की आपदा जोखिमों को ध्यान में रखकर आपदारोधी मानकों को शामिल किया जाएगा।
- विद्यालय भवनों के संरचनात्मक मानकों के डिजाईन और घटकों जैसे– बरामदा, सीढ़ी, भवन के आसपास के क्षेत्र के निर्माण की गुणवत्ता अद्यतन राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के अनुसार होना सुनिश्चित किया जाय।
- विद्यालय भवन का निर्माण आर.सी.सी. छत के साथ ईंट/पत्थर की दीवार के साथ गुणवत्तापूर्ण किया जाय।
- अतिरिक्त वर्ग–कक्ष के निर्माण या भवन के क्षैतिज या उर्ध्व विस्तार के लिए मौजूदा संरचनाओं से मजबूती के साथ संबद्ध कर डिजाईन किया जाय। विशेष कर Iyku bjxyfjVh rFkk **veried irregularity** न होने दी जाए। इससे भूकम्पीय बलों के प्रभाव में कमी आती है।
- विद्यालय भवनों के संरचनात्मक मानकों का डिजाईन बच्चों की सुरक्षा एवं शैक्षणिक आवश्यकता के अनुकूल किया जाय।
- नए विद्यालय भवन दिव्यांग – मित्रवत् (Disabled Friendly) होने चाहिए।

2-2-2 fo|ky;k dk xj&ljpukRed ln<hdj.k& भवनों के गैर– संरचनात्मक भाग के अन्तर्गत भवन की सीढ़ी, भवन के बाहर निकले छज्जे, पतली दीवार, दीवार एवं छत का प्लस्तर, दरवाजे एवं खिड़कियाँ, दीवार या छत से लगे बिजली के तार, बल्व एवं पंखे, वातानुकूलन डक्ट एवं पाईप, दीवारों एवं छतों से लटकती वस्तुऍ, फर्नीचर, आलमारी,

उपकरण एवं भवनों के अन्दर उपयोगी अन्य भारी वस्तुएँ आती हैं। विद्यालय भवनों के गैर– संरचनात्मक भाग से संबंधित चेकलिस्ट vuyXud & 4 पर संलग्न है।

xj& ljpukRed Hkkx d dkj.k lHkkfor [krjk dk fuEu rjhd l de fd;k tk ldrk g&

- भारवाहक वस्तुओं, यथा, आलमारी, ब्लैक बोर्ड, फोटोफ्रेम, कैलेन्डर, फर्नीचर इत्यादि के साथ–साथ वैसी सभी सामग्रियाँ, जिससे बच्चों एवं शिक्षकों को चोट या नुकसान हो सकता है, को दीवारों या फर्श से मजबूती के साथ अन्तः स्थापित (Embedded) करना चाहिए।
- बिजली उपकरणों एवं बिजली के ढीले तारों को तुरंत ठीक कराया जाना चाहिए।
- विद्यालय की सीढ़ियों और रैंप सहित गलियारों और निकासी मार्गो सहित खुले क्षेत्रों को बाधाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए।
- विद्यालय परिसर में हानिकारक जानवरों यथा– सर्प या अन्य जहरीले कीटों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अनुपयोगी टूटे–फूटे भवनों, अप्रयुक्त संरचनाओं एवं मलबे आदि को अविलंब हटाया जाना चाहिए।
- विद्यालय में बच्चों के आने के समय एवं जाने के समय बाहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित करना चाहिए।
- आग लगने की घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए।
- गैर–संरचनात्मक अवयवों को दीवार से बाँधकर ररवने हेतु प्रशिक्षित अभियंताओं से सुझाव लेना।
- विद्यालय द्वारा बच्चों के आवागमन हेतु चलाये जा रहे बसों या किसी अन्य वाहनों को सुरक्षा मानकों के हिसाब से हमेशा दुरूस्त रखना चाहिए। सड़क सुरक्षा तथा स्कूल बसों या अन्य वाहनों हेतु सुरक्षा निर्देश निम्न प्रकार हैं–
  - विद्यालय मे चलाये जा रहे बस, वैन, टेम्पो का रजिस्ट्रेशन डी0टी0ओ0 ऑफिस में अवश्य करा लिया जाय।
  - जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि बस, वैन, टेम्पो आदि के सुरक्षात्मक उपायो के बारे मे डी0टी0ओ0 द्वारा जाँच करके समय–2 पर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए।
  - यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय वाहन संचालन में न्याय निर्णयों का पालन करें।
  - स्कूल बसों के स्टाप निर्धारित किये जायें और इसका सख्ती से अनुपालन हो।
  - बस के रूकने पर पार्किंग लाईट जलती रहे।
  - चालक एवं सहायक अपने ड्रेस में हो तथा उनके लिये फलोरोसेण्ट कलर के ड्रेस निर्धारित किये जायें।
  - स्कूल बसों पर Þlkoèkku cPp gß का स्लोगन फलोरोसेण्ट कलर मे लिखा हो।
  - स्कूल के बसों का रंग गहरा पीला होना चाहिये।
  - विद्यालय वाहन का ड्राईवर प्रशिक्षित हो। उसे वाहन चलाने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो।
  - विद्यालय वाहन में सीट से अधिक बच्चों का न बैठाया जाये।
  - विद्यालय वाहन के आगे एवं पीछे विद्यालय का नाम एवं मो0नं0 / टेलीफोन नं0 अवश्य लिखा हो।
  - विद्यालय में प्रत्येक वर्ष "सड़क सुरक्षा दिवस" या "सड़क सुरक्षा सप्ताह" का आयोजन कराया जाय जिसमें सुरक्षा से संबन्धित स्लोगन, लेख, पेंटिग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हो।
  - उपरोक्त बातों की जानकारी विद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों तक प्रसारित होनी चाहिए। स्कूल की डायरी एवं दीवालों पर भी उक्त निर्देश लिखे होने चाहिए।
  - छोटे बच्चों को व्यस्त सड़कों पर साईकिल न चलाने दें।
  - उन विद्यालयों के गेट हमेशा बन्द रखें, जो मुख्य सड़क पर खुलते है।
  - विद्यालयों के गेट के पास स्पीड ब्रेकर अवश्य बनवायें।
  - दो पहिया वाहन में यात्रा कर रहे बच्चों को यात्रा के समय सोने न दें।
  - बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाए, तभी लाईसेंस बनवाकर उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दें।
  - दो पहिया वाहन पर सवार होते समय बच्चों को हेलमेट पहनाना सुनिश्चित करें। हेलमेट को अच्छी तरह बाँधें। यह भी सुनिश्चित करें कि हेलमेट अच्छी गुणवत्ता वाला हो।
  - वाहन चलाते समय मोवाईल का उपयोग न करें।

- कई बार होर्डिंग और विज्ञापनों के कारण ट्रैफिक लाईट नही दिखाई देती है, अतः सावधानी बरतें।
- बच्चों को बतायें कि सड़क पार करते समय रूककर, सड़क के दोनो तरफ देखें एवं सावधनी से सड़क पार करें।
- बच्चों को सड़क के किनारे फुटवॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलने से रोकें।
- बच्चे सड़क के किनारे यदि किसी मैदान मे खेल रहे हों तो सावधानी बरतने की सलाह दें।
- छोटे बच्चे अभिभावको को दूर से देखते ही दौड़ पड़ते है। इसलिये हमेशा पहले से ही बस स्टाप अथवा विद्यालय गेट पर मौजूद रहें।
- यदि आप सड़क के किनारे बच्चों के साथ जा रहे है तो हमेशा बच्चों का हाथ अच्छी तरह से पकड़े रहे। बच्चे को सड़क की तरफ न रखें।

2-2-3 lekos'kh vkink tksf[ke U;wuhdj.k

2.2.3.1 शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप बच्चे शिक्षण के दौरान आपदाओं से निरापद रह सकते हैं। परंतु कोई आवश्यक नहीं कि सभी विद्यालयों में यह कार्य तुरंत सम्पन्न हो जाए। अतएव आवश्यक होगा कि बच्चों में अपने विद्यालय के संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक कमियों की पहचान करने एवं उनका निराकरण, जहाँतक संभव हो, अपने स्तर से करने की क्षमता विकसित की जाए। यदि शिक्षा विभाग द्वारा कमियों के निराकरण में देरी हो तो बच्चे विद्यालय की "आपदा प्रबंधन योजना" में आवश्यक उपाय का समावेश कर किसी भी आपदा के आसन्न खतरे से स्वंय को बचाने में सक्षम हो सकते है। अतएव इस कार्यक्रम में बच्चों की क्षमता का विकास किया जाएगा ताकि वे (क) अपने विद्यालय की संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक कमियों की पहचान कर सकें, (ख) कमियों की पहचान कर यथासंभव उनका निराकरण कर सकें, (ग) जिन कमियों को शिक्षा विभाग द्वारा ही दूर किया जा सकता है। उन्हें दूर करने हेतु "बाल संसद" में विमर्श कर विद्यालय प्रशासन के माध्यम से विभाग का ध्यान आकृष्ट कर सकें, एवं (घ) "विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना" का सूत्रण, अद्यतनीकरण एवं कार्यान्वयन करने में सक्षम हो सकें।

2-2-3-2 कहावत है कि "child is father of the man" अर्थात् बच्चे बड़ों को भी सीखा सकते हैं। परंतु केवल वही बच्चे बड़ों को सीखा सकते हैं जो विद्यालय में अथवा अपने जीवन के खट्टे–मीठे अनुभवों से सीख हासिल करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चे अपने माता–पिता एवं परिवार की परिधि के बाहर सबसे पहले अपने दोस्तों एवं अपने विद्यालय के संपर्क में आते हैं। बच्चों में नयी बातें सीखने की स्वाभाविक ललक एवं इच्छा होती है, अतएव वे विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का महत्वपूर्ण कारक होती है। अतएव आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी ज्ञान यदि उन्हें पाठ्य–पुस्तकों एवं पाठ्य चर्चा के माध्यम से दी जाए तो वह ज्ञान न केवल उनके जीवन पर्यन्त काम आएगा अपितु वे उस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों एवं समुदाय के साथ साझा कर सकते हैं। अतएव समावेशी आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक होगा कि पाठ्य–पुस्तकों में यथासंभव आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को रोचक ढ़ंग से शामिल किया जाए। साथ ही पाठ्य चर्चा में बिहार की बहु आपदा प्रवणता एवं मौसम विशेष से जुड़ी आपदाओं से बचाव की तकनीकों को शामिल किया जाए। समय–समय पर मॉकड्रिल के माध्यम से बच्चों को आपदाओं से बचाव की तकनीकों से लैस किया जा सकता है।

2-2-3-3 प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम पखवारे में राज्य के सभी विद्यालयों में ßfo|ky; lqj{kk i[kokjkÞ एवं 4 जुलाई को ßfo|ky; lqj{kk fnolÞ मनाया जाएगा जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ संचालित होगी

2-2-4 fo|ky;ksa esa Þlqjf{kr 'kfuokjß (Safe Saturday) dk fØ;kUo;u –

बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (वर्ष 2015–2030) में इसकी चर्चा की गई हैं। सुरक्षित शनिवार का अर्थ यह है कि प्रत्येक शनिवार को पढ़ाई के अंतिम घंटे अथवा चेतना सत्र में बच्चे विविध गतिविधियों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय सीखेगें। इसमें विद्यालयों में बच्चों के कौशल विकास एवं क्षमता वर्द्धन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। साथ–साथ विभिन्न आपदाओं से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन एवं उससे संबंधित नियमित अभ्यास कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत् इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को खेल–खेल में कैसे एक सुरक्षित समाज और उससे भी बढ़कर सुरक्षित बिहार बनाने की ओर प्रेरित किया जा सके।

d- Þ lqjf{kr 'kfuokjß (Safe Saturday) dh vo/kkj.kk

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अबतक बच्चों की सुरक्षा के प्रति अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को कुछ हद तक जागरूक करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल हुई है। परन्तु यह भी रेखांकित करने योग्य है कि यह कार्यक्रम Event Based कार्यक्रम के रूप में पिछले दो वर्षो से चलाया जा रहा है। Event Based कार्यक्रमों की एक सीमा होती है। Event घटित होने के पूर्व उसकी तैयारी की जाती है एवं Event घटित हो जाने के बाद अगले Event की प्रतीक्षा होने लगती है। जोखिम न्यूनीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि जोखिमों की पहचान, उनकी समझ एवं उनसे निपटने की रणनीति हमारे दैनन्दिन व्यवहार का हिस्सा बन जाये। इसके लिए जोखिम न्यूनीकरण के कार्यक्रम को Event based की सीमा से बाहर निकालकर निरंतरता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसी संदर्भ में बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में "सुरक्षित शनिवार" (Safe Saturday) की अवधारणा विकसित की गई।

[k- Þ lqjf{kr 'kfuokjß (Safe Saturday) dh :i js[kk

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में शिक्षा विभाग को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" को निरंतरता प्रदान करते हुए उसे वर्ष में मात्र एक बार आयोजित करने की अपेक्षा इसे विस्तारित कर प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में आयोजित करें। इस कार्य में शिक्षा विभाग को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" की निरंतरता एवं विस्तार से बच्चों में जोखिमों की पहचान, उनकी समझ एवं उनसे निपटने की क्षमता का विकास होगा तथा उनके व्यवहार में दीर्घकालीन परिवर्तन आएगा। बच्चों का विद्यालय में ही सुरक्षित रहना पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें Þ?kj ls fo|ky; ,oa fo|ky; ls ?kj rdß **(Home to School and School to Home)** सुरक्षित रखने की कोशिश करनी होगी। रोडमैप में "सुरक्षित बिहार" की संकल्पना की गई है। सुरक्षित बिहार के निर्माण की शर्त है कि बिहार के हर नागरिक में आपदाओं के जोखिम की पहचान, उनकी समझ एवं निपटने की क्षमता का विकास हो सके। बच्चे भविष्य के नागरिक होते हैं। अतएव यदि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता स्कूली जीवन में विकसित होती है, तो वे बचपन से लेकर वृद्वावस्था पर्यन्त आपदाओं से सुरक्षित बने रह सकते हैं जिससे हमें सुरक्षित बिहार के निर्माण में सहायता मिलेगी। साथ ही बच्चे स्कूल में सीखे कौशल अपने घर–परिवार के साथ भी बाँट सकते हैं। ऐसा होने से उनके घर–परिवार के सदस्यों में भी आपदाओं से निपटने की समझ विकसित हो सकती है।

x- Þ lqjf{kr 'kfuokjß (Safe Saturday) ds varxZr fo|ky; Lrj ij fuEu dk;Z fd;s tk,axs&

1. विद्यालय में किसी एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाएगा।
2. विद्यालय में बच्चों के संगठन जैसे मीना मंच, बाल–संसद आदि की सक्रिय भागीदारी से विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाया जाएगा (vuqyXud & 5 esa layXu)।
3. विद्यालय में बच्चों को जोखिमों को पहचानने (हजार्ड हंट) का कौशल विकसित कराया जाएगा (vuqyXud & 5 esa layXu)।
4. जोखिमों की पहचान (हजार्ड हंट) करने के उपरांत विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करायी जाएगी (vuqyXud & 5 esa layXu)।
5. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के संबंध में चर्चा एवं चिन्हित खतरे तथा जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपायों की चर्चा विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में की जाएगी।
6. विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, एवं विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण किया जाएगा।
7. विद्यालय के प्रत्येक वर्ग से बाल प्रेरक का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा (vuqyXud & 5 esa layXu)।
8. बाल प्रेरकों द्वारा lqjf{kr 'kfuokj dh okf"kZd lkj.kh (vuqyXud & 6 esa layXu) के अनुसार फोकल शिक्षक की सहायता से निर्धारित गतिविधियाँ प्रत्येक शनिवार को क्रियान्वित की जाएंगी।
9. बच्चों को दिये गये ज्ञान एवं कौशल का निरंतर अभ्यास कराया जाएगा।

अध्याय –3

3-1 fofHkUu fgrHkkfx;ksa ds dk;Znkf;Ro ,oa ftEesokfj;k¡

राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण बनाये रखने हेतु सभी हितभागियों को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। सेंडई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में आपदाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु इस कार्य में संलग्न सभी हितभागियों साझेदार बनाने की बात कही गयी है। अतएव मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में निजी विद्यालयों के प्रबंधन सहित शिक्षा विभाग, प्राधिकरण, जिला प्रशासन, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा यूनिसेफ जैसे अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रभावी भूमिका होगी। विभिन्न हितभागियों की भूमिकाएँ निम्नानुसार रेखांकित की जा रही है :

3-1-1 fcgkj jkT; vkink izcèku izkfèkdj.k

- विद्यालयों के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु शिक्षा विभाग सहित सरकार के अन्य विभागों एवं निजी विद्यालयों के अभियंताओं का आपदारोधी भवन निर्माण तकनीक एवं RVS / Retrofitting में समय–समय पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी अनुसमर्थन ।
- सुरक्षित शनिवार एवं आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के कार्यों हेतु शिक्षा विभाग सहित सरकार के अन्य विभागों द्वारा संचालित / सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों द्वारा चयनित मास्टर प्रशिक्षकों का समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु मॉडयूल निर्माण एवं उनका प्रशिक्षण ¼vuqyXud&7 ij n"VO;½A
- प्रशिक्षण सामग्रियों का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण।
- सुरक्षित शनिवार आधारित बालोपयोगी शिक्षण एवं IEC सामग्री का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण।
- विद्यालयों में प्रचलित पाठ्य–पुस्तकों के पाठ्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों को शामिल करने में शिक्षा विभाग को सहयोग।
- इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका एवं निर्देशिका निर्माण, मुद्रण एवं वितरण।
- मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु साधन सेवियों का पैनल तैयार करना।
- कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार हितधारकों का उन्मुखीकरण एवं कार्यशाला आयोजित करना।
- कार्यक्रम का राज्य स्तर पर अनुश्रवण।

3-1-2 ftyk vkink izcèku izkfèkdj.k @ ftyk iz'kklu

- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन, तकनीकी अनुसमर्थन एवं पर्यवेक्षण।
- शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रशिक्षकों के जिला, प्रखंड एवं संकुल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन एवं पर्यवेक्षण।
- NDRF/SDRF की टीमों एवं अन्य प्रशिक्षकों के माध्यम से निजी एवं सरकारी विद्यालयों में नियमित मॉकड्रिल आयोजित कराना।
- सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में NDMA मार्गदर्शिका एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- जिला समन्वय समिति की मासिक बैठक के एजेण्डा में शामिल कर इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना।
- कार्यक्रम का जिला स्तरीय अनुश्रवण।

3-1-3 f'k{kk foHkkx @ fcgkj f'k{kk ifj;kstuk ifj"kn

- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे।
- विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर मदद लेंगे।
- विद्यालयों के संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक उपाय एवं निधि का प्रावधान।
- बाल–संसद द्वारा सुरक्षात्मक/गैर–संरक्षात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु प्रेषित अनुशंसाओं पर विचार एवं आवश्यक कार्रवाई करना।
- सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में बच्चों का सुरक्षा संबंधी NDMA की मार्गदर्शिका एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- आपदा जोखिम में कमी लाने एवं क्षमतावर्द्धन हेतु इस विषय को शिक्षकों के In-Service प्रशिक्षण में समाहित करना।
- एस0सी0ई0आर0टी0 (SCERT) के माध्यम से बच्चों की समग्र सुरक्षा पर अर्थपूर्ण तरीके से प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में उनका उपयोग सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर कम से कम 8–10 मास्टर प्रशिक्षक का चयन एवं यथानुसार प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त करना।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुद्रित प्रशिक्षण सामग्री, मॉडयूल, तथा आई0ई0सी0 सामग्रियों को जिला स्तर, प्रखंड स्तर तथा विद्यालय स्तर तक पहुॅचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- स्कूली पाठ्य–पुस्तकों एवं पाठ्यचर्या में यथासंभव आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा एवं उपायों को शामिल करना।

3-1-4 ftyk f'k{kk inkfèkdkjh @ ftyk ,o i[kM Lrjh; f'k{kk foHkkx d vU; inkfèkdkjh

- जिला स्तर पर विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होगें। उनका दायित्व होगा कि शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों के सहयोग से इस कार्यक्रम के सभी घटकों को निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कार्यान्वित करायें।
- विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रमुख जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। वे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु नियमित रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर तकनीकी सहयोग भी प्राप्त करते रहेंगे।
- इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान करेगें कि किसी भी आपदा के तुरंत बाद विद्यालयों में जल्दी से जल्दी शैक्षणिक कार्य बहाल हो सके।
- विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों की सुरक्षा हेतु विभिन्न आपदाओं के रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारियों और अन्य कार्रवाईयों के लिए विद्यालय शिक्षा समिति को अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन् हेतु सुदृढ़ उपाय करने हेतु प्रेरित करेगें।
- विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षा के संबंध में NDMA मार्गदर्शिका एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

- जिला स्तर पर कम से कम 8–10 मास्टर प्रशिक्षक चिन्हित करेंगे।
- विद्यालय सुरक्षा हेतु राज्य स्तर से लेकर संकुल स्तर तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालय स्तर पर सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन के संबंध में यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में इस हेतु शनिवार के समय–सारणी में समय आवंटित हो जाए एवं प्रत्येक शनिवार को तदनुरूप बच्चों को निर्धारित विषयों की जानकारी दी जाए।
- विद्यालयों को अपनी आपदा प्रबंधन योजना को विद्यालय विकास योजना में जोड़ने हेतु प्रेरित करेंगे।
- इस कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार उन्मुखीकरण एवं कार्यशाला आयोजित करेंगे।
- विद्यालय हेतु पूर्व से विकसित अन्य मूल्यांकन संकेतकों के साथ–साथ विद्यालय सुरक्षा के मूल्यांकन सूचक को शामिल करेगें (eY;kdu i=i= vu yXud& 8 ij n"V0;)।
- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
- जिला स्तरीय/प्रखंड स्तरीय/संकुल स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी अपने विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय सुरक्षा से संबंधित कार्य की भी निगरानी करेगें।
- निजी विद्यालयों के प्रत्यायन और पंजीकरण हेतु निर्धारित अनुदेश के तहत विद्यालयों में सुरक्षित माहौल में बच्चों की पढ़ाई करने की व्यवस्था संबंधी शर्त पंजीयन एवं प्रत्यायन की पहली शर्त होनी चाहिए। विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले आवेदन प्रपत्र में विद्यालय सुरक्षा फोकल शिक्षक के चयन से संबंधित कॉलम अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार निजी विद्यालयों के लाइसेंस का नवीनीकरण विद्यालय सुरक्षा के संकेतकों के आधार पर रैंकिंग करने के उपरांत ही करना चाहिए।

3-1-5 jkT; 'kSf{kd f'k{kk ,oa izf'k{k.k ifj"kn~ ¼,l0lh0bZ0vkj0Vh0½

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल एवं IEC सामग्री विकसित करने में प्राधिकरण को सहयोग करेंगे।
- विद्यालयों के पाठय–पुस्तकों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विषय–वस्तु से संबंधित पाठों का पुनरीक्षण करेगें।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करेंगे।

3-1-6 ftyk f'k{kk ,oa izf'k{k.k laLFkku ¼DIET½

- जिला शिक्षा पदाधिकारी के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में जिला स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करेगें। जिस जिले में DIET कार्यरत नहीं हैं, वैसे जिले में प्रशिक्षण PTEC, BIET या अन्य माघ्यम से कराया जाएगा।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में जिला, प्रखंड एवं संकुल स्तरीय प्रशिक्षण हेतु समय–सारणी निर्धारित करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु साधन सेवियों का पैनल तैयार करेंगे।
- **DIET** द्वारा चलाये जाने वाले सभी प्रकार के प्रशिक्षण में विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न अवयवों को शामिल करेगें।
- फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के प्रशिक्षण हेतु मॉडयूल एवं सामग्रियाँ विकसित करेंगें।
- विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करेगें।

- विद्यालयों में चयनित फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों को प्रखंड स्तर या संकुल स्तर पर प्रशिक्षित करने में **BRC/CRC** को सहयोग करेंगे।
- विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रशिक्षित करेंगे।
- विद्यालय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विद्यालयों के बीच आपस में इस तकनीक को सीखने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित करायेगें।

3-1-7 i[kM llkèku dUn @ ldy llkèku dUn

- फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रखंड संसाधन केन्द्र द्वारा किया जाएगा। इस कार्य हेतु मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षकों का सहयोग इन केन्द्रों को जिला शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध करायेगें।
- बाल प्रेरकों का प्रशिक्षण संकुल संसाधन केन्द्रों द्वारा किया जाएगा। इस कार्य में आवश्यकतानुसार मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षकों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

3-1-8 fo|ky; i'kklu ¼futh ,o ljdkjh½

- यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की देखरेख एवं संरक्षण में संचालित किया जाएगा।
- प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में नामित कर उन्हें प्रशिक्षित कराया जाएगा। इसी प्रकार बाल–प्रेरकों का चयन कर उन्हें भी प्रशिक्षित कराया जाएगा।
- विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक) एवं विद्यालय प्रबंधन समिति को संगठित कर उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया जाएगा।
- विद्यालय के शिक्षकों और गैर शिक्षण में कार्यरत कर्मचारियों को आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- विद्यालय में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।
- विद्यालय के अन्तर्गत तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओं से होनेवाले खतरे की पहचान करके विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाया जाएगा।
- इस योजना को विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति/विद्यालय शिक्षा समिति, पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत करके उसके समाधान हेतु कारगर उपाय करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
- सुरक्षित शनिवार हेतु विकसित वार्षिक–सारणी के अनुसार बाल–प्रेरकों एवं विद्यालय के फोकल शिक्षक के द्वारा विद्यालय के अन्य सभी बच्चों को जानकारी/ज्ञान एवं कौशल विकास हेतु क्षमतावर्द्धन के साथ–साथ नियमित अभ्यास (मॉकड्रिल) कराया जाएगा।
- विद्यालय सुरक्षा हेतु संभावित कार्यों को विद्यालय विकास योजना में शामिल किया जाएगा।
- विद्यालय सुरक्षा के प्रासंगिक मानदंडों एवं मानकों को किसी प्रकार के निर्माण कार्यो में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालय सुरक्षा से संबंधित जानकारी, कौशल एवं तकनीक को बच्चों के माध्यम से उनके परिवार एवं स्थानीय समुदाय तक पहुँचाने हेतु प्रेरित करेगें।
- सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के विषय–वस्तु पर आधारित विकसित आई0ई0सी0 सामग्रियों से बच्चों को जानकारी, कौशल विकास, अभ्यास एवं उनके व्यवहार में बदलाव लाने हेतु प्रेरित करेगें। आई0ई0सी0 सामग्रियों का विवरण vuyXud& 9 पर संलग्न है।

3-1-9 ;fulQ ,o vU; jk"Vh; ,o vUrjk"Vh; lLFkk,

- इस कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों को संपादित करने हेतु विभिन्न हितभागियों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फोकल शिक्षकों और शिक्षा विभाग/बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रशिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।
- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम हेतु अपने–अपने कार्यरत भौगोलिक क्षेत्रों यथा– राज्य, जिला या प्रखंड स्तर पर इसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने की जिम्मेवारी लेंगे।
- विद्यालय सुरक्षा के क्रियान्वयन हेतु रणनीतियों को विकसित करने और इसे साझा करने में सहयोग करेंगे।
- विद्यालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों को अन्य विभागों के कार्य योजना में शामिल करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- विद्यालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित शैक्षणिक टूल्स, प्रशिक्षण सामग्री, मॉडयूल तथा आई0ई0सी0 सामग्रियाँ विकसित करने में सहयोग प्रदान करेंगें।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दस्तावेजीकरण हेतु विशेषज्ञों की उपलब्धता करायेगें। साथ ही बेहतर परिणाम का केस–स्टडी तथा अन्य प्रकार के अध्ययन कराने में सहयोग करेंगे।
- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में कार्यरत पदाधिकारियों का सीख भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करेंगें।
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् में स्थापित सेल को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे।
- इस कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सहयोग करेंगे।

3-1-10 cPpk l vi{kk,

- बच्चे आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को सीखने के उपरांत विद्यालय के बाहर के बच्चों एवं परिवार के सदस्यों को सीखने – सीखाने का कार्य करेंगे।
- बच्चे अपने परिवार एवं समुदाय में उत्पन्न आपदा के जोखिमों को बेहतर ढ़ंग से संज्ञान में लेंगे और उनके सक्रिय रूप से समाधान की तलाश करेंगे।
- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगें।
- विद्यालय स्तर पर आयोजित मॉकड्रिल में भाग लेंगे।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जानकारी एवं उससे संबंधित कौशल को अपने परिवार एवं स्थानीय समुदाय के बीच पहुँचाने का कार्य करेगें।

अध्याय -4

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

4-1 vu|Jo.k % इस कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण समितियॉ गठित रहेंगी जो त्रैमासिक बैठकें कर कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगें।

d- jkT; Lrjh; vu|Jo.k lfefr

- उपाघ्यक्ष / सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–अध्यक्ष
- प्रधान सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग – उपाध्यक्ष
- महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य
- महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य
- शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य
- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्– सदस्य
- निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् – सदस्य
- आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधि– सदस्य
- स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य
- कमांडेन्ट / डिप्टी कमांडेन्ट, एन.डी.आर.एफ. – सदस्य
- कमांडेन्ट / डिप्टी कमांडेन्ट, एस.डी.आर.एफ. – सदस्य
- यूनिसेफ / सेव दी चिल्ड्रेन / BIAG के प्रतिनिधि – सदस्य
- कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि– सदस्य सचिव

यह समिति किन्हीं अन्य को भी अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

[k- ftyk Lrjh; vu|Jo.k lfefr

- जिला पदाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) – अघ्यक्ष ।
- वरीय उप समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) – सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
- जिला कल्याण पदाधिकारी – सदस्य
- जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य सचिव
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0 एवं सर्व शिक्षा अभियान– सदस्य
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान– सदस्य
- जिला बाल संरक्षण ईकाई के प्रभारी पदाधिकारी – सदस्य
- जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी / जिला अग्निशमन के प्रतिनिधि – सदस्य
- कार्यपालक /सहायक अभियंता, बिहार शिक्षा परियोजना– सदस्य
- जिला संयोजक, BIAG – सदस्य

यह समिति जिला स्तरीय किन्हीं अन्य को भी अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

इन समितियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग एवं विभागीय सक्षम पदाधिकारी राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय एवं संकुल स्तरीय नियमित बैठकों में भी इस कार्यक्रम को प्रमुख एजेन्डा बिन्दु के रूप में शामिल कर इसके सभी घटकों की प्रगति एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे।

4-2 eY;kdu % बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम का समय–समय पर मूल्यांकन करायेगा एवं मूल्यांकन से उभरे विन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

अनुलग्नक– 1

Hkkjr ,o fcgkj d fo|ky;k e ?kfVr dN gknl

शिक्षा विभाग, बिहार के अनुसार राज्य में 80,000 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय है जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में काफी विद्यालय हैं जिनमें प्रारंभिक शिक्षा (Elementary Education) दी जाती है। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आयी बाढ़ के दौरान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले के 7,480 विद्यालय प्रभावित हुए जिसमें क्रमशः 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इस राष्ट्रीय आपदा में लगभग 450 बच्चों की मृत्यु भी हुई थी। इसी प्रकार वर्ष 2013 में सारण जिले के मशरक प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, गण्डामन में बिषाक्त मध्याहन् भोजन खाने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2015 में नेपाल में आये भूकंप से नेपाल के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 3000 वर्ग कक्ष पूर्णतः ध्वस्त हो गये थे। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त वर्ष 2016 में गंगा में आयी बाढ़ के कारण 03 मध्य विद्यालय पानी के तेजधार में विलुप्त हो गये। उपरोक्त उल्लेखित आपदाओं के अलावे देश के अलग–अलग हिस्सों में कई आपदायें आयीं जिसमें विशेषकर विद्यालय के बच्चे एवं शिक्षकों की मृत्यु हुई। उदाहरणस्वरूप विभिन्न आपदाओं से हुए नुकसान की कुछ विवरणी निम्नरूपेण है –

1. वर्ष 1995 में मंडी दाववाली, जिला–सिरसा, हरियाणा में अगलगी से 400 लोगों (अधिकांशतः बच्चों) की मृत्यु हुई।
2. वर्ष 1988 में भूकंप से बिहार के दरभंगा जिले का एक मदरसा विद्यालय पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया।
3. वर्ष 2001 में गुजरात के अंजार शहर में आयी भूकंप के कारण 400 बच्चों की मृत्यु हुई।
4. वर्ष 2004 में अगलगी के कारण तमिलनाडु के कुंभाकोणम में 90 बच्चों की मृत्यु हुई।
5. वर्ष 2005 में केरल में नाव दुर्घटना में 15 बच्चों एवं 03 शिक्षकों की मृत्यु हुई।

अनुलग्नक– 2

jkT; esa lapkfyr fd;s x;s fo|ky; lqj{kk dk;Øeksa dh oLrq&fLFkfr ,oa vuqHko
(Status and Lesson Learnt)

2-1 jk"Vªh; fo|ky; lqj{kk dk;Øe

बिहार राज्य के दो जिलों, यथा, अररिया एवं मधुबनी के दो–दो प्रखंडों के 200–200 विद्यालयों में NDMA सम्पोषित पॉयलट कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011 से जून, 2013 तक राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। उक्त पॉयलट कार्यक्रम से निम्नलिखित फलाफल प्राप्त हुए –

1- बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित होने की अदभुत संभावनाएँ हैं। अल्प काल में ही वे शीघ्रता से आपदाओं और उनसे बचाव के बारे में सीख सकते हैं।

2- राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा हेतु मार्गदर्शिका बनायी गयी।

3- मॉडल विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का प्रारूप विकसित हुआ।

4- राज्य तथा तत्संबंधी जिलों के सरकारी पदाधिकारियों में विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा के प्रति रूचि जागृत हुई।

5- विद्यालय सुरक्षा से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार किये गये।

2-2 ;wfulsQ lapkfyr fo|ky; lqj{kk dk;Øe

यूनिसेफ द्वारा राज्य के 6 जिलों यथा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण में वर्ष 2011 से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। शुरूआत के 2 वर्षो में प्रत्येक जिले के 30–30 विद्यालयों में सघन रूप से गतिविधियाँ संचालित की गयी। यह कार्यक्रम एक तरह से अनुभवों एवं सीखों के आधार पर विकसित हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य बात थी कि जिलों / प्रखंडों एवं विद्यालयों की सामाजिक– भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियाँ सोच कर क्रियान्वित की गई। जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिनके निर्देशन में प्रखंड स्तर से लेकर संकुल एवं विद्यालय स्तर तक सुरक्षा कार्यक्रम की सभी निर्धारित गतिविधियों को क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि विद्यालय बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बने जहाँ पर निर्बाध रूप से हर समय बच्चे पढ़– लिख सके एवं बौद्धिक क्षमता के साथ–साथ शारीरिक विकास भी कर सके। यह पूरा कार्यक्रम बच्चों को केन्द्र में रख कर रचा गया जिसमें विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक) की संकल्पना के साथ–साथ समुदाय के अन्य हितभागियों को भी विद्यालय से जोड़ने की गुंजाइश रखी गई।

वर्ष 2013–14 में यूनिसेफ के अनुभवों के आधार पर इस कार्यक्रम का विस्तार उपरोक्त 6 जिलों के लगभग 3000 विद्यालयों में किया गया। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य 8 गतिविधियाँ निकलकर आयीं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने पर विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का एक चक्र पूरा होता है। ये गतिविधियाँ निम्न है –

1. उचित वातावरण निर्माण की तैयारी।
2. विद्यालय समुदाय को संगठित करना।
3. विद्यालय परिसर एवं आसपास के जोखिमों की पहचान करना।
4. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना।
5. जोखिमों एवं खतरों को कम करने के उपाय ढूँढ़ना एवं उसे क्रियान्वित करना।
6. जानकारी/ज्ञान एवं कौशल हेतु क्षमता वृद्धि।
7. समुदाय एवं अन्य सेवा प्रदाताओं से संबंध स्थापित करना।
8. अनुश्रवण एवं खतरों की नियमित पहचान करना।

उपरोक्त सभी चरण एक दूसरे से संबद्ध हैं तथा एक के पूरा होने के बाद ही दूसरा चरण सहजता से एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अलग– अलग स्तर पर क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम किया गया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण विद्यालय सुरक्षा शिक्षक (फोकल शिक्षक) का प्रशिक्षण था। फोकल शिक्षक के माध्यम से ही विद्यालय में कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने की योजना तैयार की गई। अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम को प्रभावी एवं टिकाउ बनाने के लिए बच्चों में से ही चयन कर उनको बाल प्रेरक के रूप में प्रोत्साहित किया गया और पूर्व से गठित बाल–संसद एवं मीना मंच के बच्चों को जोड़ कर इस कार्यक्रम को बच्चों के माध्यम से ही क्रियान्वित किया गया। परिणामस्वरूप, विद्यालयों में बच्चों की पूरी की पूरी सहभागिता सुनिश्चित हो पायी तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके।

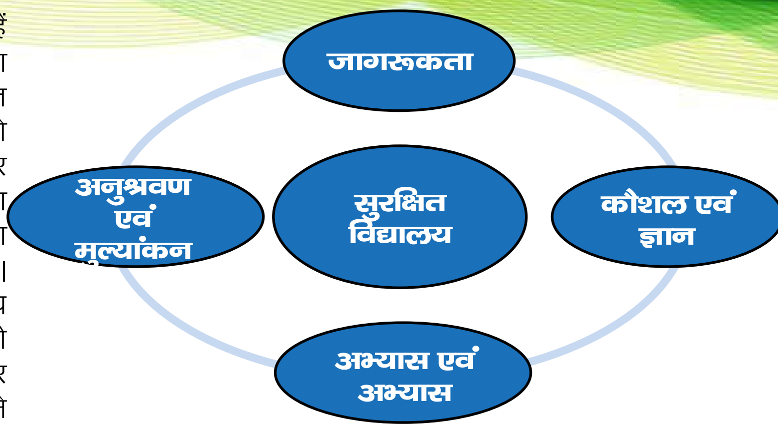

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं एवं उनसे होनेवाले खतरों तथा अन्य मुद्दों जैसे– स्वास्थ्य, पोषण, साफ–सफाई एवं स्वच्छता, बाल अधिकार, मौसम परिवर्तन का प्रभाव, प्रदूषण, सुरक्षा एवं बचाव के लिए मॉकड्रील आदि पर जानकारी देने के लिए एक ^lh[k&le>^ साप्ताहिक सारणी तैयार की गई। इस सारणी की सहायता से बच्चों को प्रतिदिन चेतना–सत्र के दौरान एवं प्रत्येक शनिवार को खेल–कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जानकारी एवं कौशल प्रदान कराते हुए अभ्यास कराया गया जिससे बच्चों को आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकी तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के तरीकों की सीख विकसित हो पायी।

2-3 e[;eU=h fo|ky; lqj{kk dk;Øe (MSSP)

बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में विद्यालयों में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों एवं जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के समेकित प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य के 67,000 सरकारी एवं 50,000 निजी विद्यालयों में मॉकड्रिल आयोजित किये गये। इस कार्यक्रम में लगभग 02 करोड़ छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। 1.51 लाख नोडल शिक्षकों को चयनित कर मॉकड्रिल आयोजित करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत् विद्यालय प्रबंधन समिति के 6 लाख सदस्यों को भी शामिल किया गया। प्रचार–प्रसार सामग्री के रूप में मॉकड्रिल से संबंधित पुस्तिका की 50 लाख प्रतियाँ विद्यालयों में वितरित की गईं। राज्य स्तर पर 400 शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया गया। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016 में भी दिनांक 01–15 जुलाई तक विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया जिसमें सभी विद्यालयों में बाढ़, भूकंप एवं अगलगी से संबंधित आपदाओं से बचाव के बावत प्रशिक्षण तथा उसके अभ्यास के रूप में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। वर्ष 2017 में राज्य स्तर पर 576 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर लगभग 9500 शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया। विद्यालय स्तर पर दिनांक 01–15 जुलाई तक विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा के तहत् राज्य के 73500 विद्यालयों के लगभग 2.24 करोड़ बच्चे को प्रत्येक दिन अलग–अलग आपदाओं के विषय–वस्तु की जानकारी, क्षमतावर्द्धन एवं उस आपदा से संबंधित अभ्यास/ मॉकड्रिल कराया गया। दिनांक 04 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस के अवसर पर राज्य के गाँधी मैदान में 5000 बच्चे को एक साथ भूकम्प, आगजनी एवं सड़क दुर्घटना से संबंधित मॉकड्रिल कराया गया। इस कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल भी विकसित किया गया जिसे प्रत्येक विद्यालय में पखवाड़ा के पूर्व उपलब्ध कराया गया।

इस कार्यक्रम से निम्नलिखित सीखें प्राप्त हुईं–

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित हुई।
2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हुए।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार किये गये।
4. बच्चों को जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 सामग्रियाँ विकसित की गई।

अनुलग्नक –3

jfiM fotvy LØhfuax gr ekud pdfyLV

Ø- l-	lo{ gr tkudkjh d fo"k;&oLr	fuèkkfjr ekud ¼vkbZ-,l- dkM d vuqlkj½
1	मंजिलों की संख्या	अधिकतम चार मंजिल या कम
2	दीवार के ईंट का compressive strength	Compressive strength ≥ 35 or 50 kgècm2
3	भारवाहक दीवार की मोटाई	कम से कम 230 मिलीमीटर
4	मशाला में सिमेंट–बालू का अनुपात	1:6
5	किसी भी कमरा के दीवार की लम्बाई	अधिकतम 8 मीटर
6	फर्श से छत तक दीवार की ऊँचाई	अधिकतम 3.45 मीटर
7	दरवाजों एवं खिड़कियों की चौड़ाई का योग तथा दीवार की लम्बाई का अधिकतम अनुपात	एक मंजिले मकान में – 50 प्रतिशत दो मंजिले मकान में – 42 प्रतिशत तीन मंजिले मकान में– 33 प्रतिशत
8	दरवाजों एवं खिड़कियों के बीच दीवाल की चौड़ाई	दो ईंट की लम्बाई से ज्यादा
9	दीवाल के कोने से दरवाजा या खिड़की की दूरी	एक ईंट की लम्बाई से ज्यादा
10	पहले ही ढालकर तैयार किये गये आर.सी.सी तख्ता से जोड़कर छत बनाया गया है।	आर.सी.सी. या आर. बी. स्लैब से बना सपाट क्षैतिज छत अच्छा होता है।
11	लकड़ी के धरन के उपर ईंट रखकर सपाट छत बना है।	
12	छत जैक आर्च से बना है।	
13	ढलान वाला छत घास – फूस से बना है।	
14	ढलान वाला छत कड़ी के उपर खपरैल से बना है।	
15	कुरसी स्तर पर आर.सी.सी.भूकम्परोधी बैंड	कुरसी 900 मि.मी. या ऊँचा हो तो आवश्यक
16	लिंटेल स्तर पर आर.सी.सी.भूकम्परोधी बैंड	आवश्यक
17	खिड़कियों के सिल्ल स्तर पर आर.सी.सी. बैंड	तीन तथा चार मंजिल के मकान में आवश्यक
18	छत के निचले स्तर (ओलती) पर आर.सी.सी. छत बैंड	आवश्यक
19	दो तरफ ढलान वाले मकानों के छोर पर त्रिभुजाकार गेबल आर.सी.सी. बैंड	आवश्यक
20	कमरों के सभी कोनों पर दीवार में स्टील के खड़े छड़	ईंट जोड़ाई पर आधारित सभी भवनों में आवश्यक
21	दरवाजों एवं खिड़कियों के दोनों तरफ कंक्रीट के अंदर खड़े छड़	2.0 मीटर बड़े से द्वारों के दोनों तरफ आवश्यक

L=kr %& **BSDMA** ekxnf'kdk

अनुलग्नक –4

Checklist for Non-Structural Elements in School

Sl.no	Potential hazard	Check if item is present	Does item need to be moved Anchored?	
	Architectural èOutside			
1	Stone wall Cladding			
2	Spalling of cracked Cement Plaster			
3	Broken Sun Shade			
	Furniture & Equipments			
4	Bookshelves			
5	Storage Cabinet			
6	Display CupboardsèAlmirah			
7	Filing Cabinets			
8	Laboratary Equipments			
9	Computer Equipments			
10	Black Boards			
11	Ceiling Fan			
12	Fire Extinguishers			
13	Storage Cabinets			
14	Sound Equipments			
15	Kitchen Equipment			
16	Computerè Printerè any machine			
17	Moveable wooden partition			
18	Standing wooden sinage			
	Ceiling and Overhead			
19	Light Fixtures			
20	Coolers			
21	Water Tank			
22	Flower Pots			
	Wall Mounted Items			
23	Shelves			
24	Picture frame			
25	Wall mounted cabinets			
26	Wall mounted gadgets			
27	Equipments, LCD TV			
28	Aqua Guard Wall Mounted			
	Any other items			

Source %& **NDMA** fo|ky; lqj{kk ekxnf'kdk

अनुलग्नक –5

5-1 fo|ky; vkink izcU/ku lfefr xBu dh izfØ;k&

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का कार्य विद्यालय के अंदर एवं बाहर तथा विद्यालय के पोषक क्षेत्र में चिन्हित सभी जोखिमों के कुप्रभावों का शमन करते हुए अपने विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों हेतु विद्यालय को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाये रखना है। अतः इस कार्य को मूर्त्तरूप देने के संदर्भ में विद्यालय समुदाय, बाल–संसद एवं मीना मंच के सदस्यों एवं विद्यालय शिक्षा समिति सदस्यों को मिलाकर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। गठन की प्रक्रिया निम्नरूपेण होगी–

- विद्यालय समुदाय; जिसमें विद्यालय के बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के 3 मनोनीत सदस्य शामिल होगें, के साथ बैठक कर कार्यक्रम के उद्देश्य, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना एवं रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा करायी जाए।
- समिति में बाल संसद के सभी मंत्री, फोकल शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष तथा अलग–अलग कक्षाओं के 2–3 बाल प्रेरक शामिल होंगे।
- बाल–संसद में अन्य मंत्रियों के अलावे एक बाल सुरक्षा मंत्री तथा उसके उप–मंत्री नामित किये जाएंगे। इन दोनों को भी विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया जाएगा।
- अपर प्राईमरी या मध्य विद्यालयों में मीना मंच की मीना और उप–मीना/सहायक मीना को भी विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया जाएगा। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का आकार अधिकतम 12–13 सदस्यों का होगा।
- प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों को उनके कार्यदायित्व के बारे में बताया जाये तथा माह में एकबार बैठक करने की तिथि भी निर्धारित कर लिया जाये। समिति के बैठक हेतु एजेण्डा भी बनाये जा सकते हैं, जैसे–बैठक की तिथि के पूर्व किये गये कार्यों की समीक्षा, योजना के अनुसार संपादित गतिविधियाँ एवं लंबित कार्यो को अलग–अलग सूचीबद्ध करना, अगले माह की कार्ययोजना पर चर्चा एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जिम्मेवारी तय करना तथा इसके अनुश्रवण एवं निगरानी के तरीके पर चर्चा इत्यादि।
- इसी प्रकार निजी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं बच्चों को शामिल कर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाए।
- मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में मदरसा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं बच्चों को शामिल कर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाए।

5-2 fo|ky; d vrxr rFkk mLkl vklikl d {k=k e tkf[kek dh igpku dju dh ifØ;k

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, शिक्षक एवं अन्य बच्चे मिलकर Þgt kMZ gVß प्रक्रिया के द्वारा विद्यालय परिसर के अंदर एवं विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों के साथ–साथ घर से विद्यालय एवं विद्यालय से पुनः घर लौटने के क्रम में उन सभी जोखिमों व खतरों की पहचान करें जिससे हम सभी को किसी न किसी प्रकार के नुकसान एवं क्षति होने की संभावना है।

- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में हंट या जोखिम का आकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतएव इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ करने की आवश्यकता है। "हजार्ड हंट" करने की प्रक्रिया निम्नरूपेण है–
    - विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, शिक्षक एवं बच्चों को प्रधानाध्यापक एक जगह एकत्रित करेगें।
    - वे उन्हें "हजार्ड हंट"/जोखिम आकलन के महत्व के साथ–साथ यह भी बतायें कि इस प्रक्रिया के द्वारा वे उन सभी प्रकार के जोखिमों की पहचान करें, जिससे हम सभी को किसी न किसी प्रकार के खतरे या नुकसान होने की संभावना है, चाहे वह नुकसान तुरंत हो या भविष्य में घटित होने वाला हो।

- o उन्हें यह भी बताये कि वे उन सभी खतरों की पहचान करें, जिससे शारीरिक कष्ट एवं स्वास्थ्य संबंधी बिमारियाँ उत्पन्न हो सकती है या फिर वो खतरे जिससे कभी–कभी जान भी जा सकती है। "हजार्ड हंट" के दौरान संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक खतरों की भी पहचान करें।
- o अब "हजार्ड हंट" प्रक्रिया में शामिल होनेवाले बच्चों का 4–6 समूह बनायें (समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि किसी समूह में 10 से ज्यादा बच्चे न हो, भले ही इसके लिए समूहों की संख्या बढ़ानी क्यों न पड़े)।
- o सभी बच्चे अपने–अपने समूह में विद्यालय के अंदर एवं बाहर भ्रमण कर उन सभी खतरों को नोट करते जायें जिनसे किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना हो या वो सभी वस्तुएँ या चीजें जो नुकसानदेह हों या जिनसे डर लगता हो और जिनको सामूहिक प्रयास से ठीक किया जा सकता हो।
- o "हजार्ड हंट" प्रक्रिया के लिए बच्चों को आवश्यकतानुसार 30 से 45 मिनट का समय दें और समूहों को खतरे की पहचान करने लिए भेजा जाये। प्रत्येक समूहों के द्वारा किये जाने वाले कार्य पर दूर से नजर रखें, इससे बच्चों की भावनाओं और उनके कार्य करने की गंभीरता को समझने में आसानी होगी जो विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण करने के समय काफी उपयोगी साबित होगी।
- o अब प्रत्येक समूह को पहचान किये गये जोखिमों एवं खतरों का प्रस्तुतीकरण करने को कहा जाये और उपस्थित सभी के साथ चर्चा करके चिन्हित जोखिमों व खतरों को अलग–अलग सेक्टर के हिसाब से सूचीबद्ध करायें। हजार्ड हंट के लिए चेकलिस्ट निम्न प्रकार है–

l DVj	LFkku@tkf[ke ;Dr vi'k dk uke	Tkkf[keks dh lHkkouk@rhork		
		mPp	eè;e	de
i; ty ,o ifjlj LoPNrk lcèkh tkf[ke				
LokLF; ,o 0;fDrxr LoPNrk lcèkh tkf[ke				
thou j{kk dk'ky d vHkko lcèkh tkf[ke				
Hkou dh ljpukRed rFkk xj&ljpukRed ,o mld etcrh lcèkh tkf[ke				
fo|ky; ifjlj lcèkh tkf[ke				
?kj l fo|ky; vku d ekxl e iMu oky tkf[ke				
eè;kgu Hkkstu ,o fdpu 'kM l lcfèkr tkf[ke				
vU;kU;				

5-3 fo|ky; vkink icèku ;kstuk cukus dk rjhdk

- जोखिम व खतरों की पहचान हो जाने के उपरांत नामित फोकल शिक्षक एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में सदस्यों से विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार कराया जाये। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निम्न प्रकार से तैयार की जा सकती है :–
  - o विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें पहचान किये गये जोखिमों एवं खतरों को कम करने या उस खतरे को समाप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव अंकित होते हैं और उसके लिए की जानेवाली आवश्यक कार्रवाई के साथ ही साथ विभिन्न हितभागियों के लिए उसे क्रियान्वित करने की समय–सीमा का निर्धारण भी होता है।
  - o जोखिमों को सेक्टर/विषयवार सूची के अनुसार एक–एक कर उसके समाधान के उपायों के उपर चर्चा करके निम्न प्रपत्र का उपयोग कर सकते है –

क्रम सं0	चिन्हित मुद्दा/समस्या	आज की स्थिति	समाधान का विकल्प	योजना क्रियान्वयन हेतु गतिविधियाँ	जिम्मेवारी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7

- मुद्दों के उपर चर्चा करके जोखिम को बढ़ाने वाले चिन्हित मुद्दों या समस्याओं को कॉलम 2 में लिखें और तीसरे कॉलम में उसके बारे में आज की स्थिति अंकित करें।
- मुद्दा के अनुसार विषयवार चिन्हित जोखिमों को कम करने के लिए समाधान के विकल्पों पर चर्चा कर चौथे कॉलम में लिखें। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में निम्न योजनाएँ होनी चाहिए–
    - अल्प अवधि में किये जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक कार्य
    - लंबी अवधि में किये जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक कार्य
    - बच्चों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना
    - जागरूकता एवं कौशल विकास की योजना
    - मॉकड्रील व नियमित अभ्यास की योजना।

- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित जोखिमों को कम करने हेतु कारगर उपाय, उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारिया तथा समय–सीमा निर्धारित कराया जाये।
- विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत व अभिभावकों के समक्ष इस योजना के प्रस्तुतीकरण के उपरांत विद्यालय विकास योजना में शामिल कराया जाये।

पहचान किये गये जोखिमों एवं खतरों को कम करने लिए कारगर उपाय करना

- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में जोखिमों एवं खतरों को कम करने के कई समाधानों को संपादित करने हेतु राशि की आवश्यकता पड़ सकती है। अतएव यह आवश्यक होगा कि लागत राशि को प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं यथा–मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि, स्थानीय विधायक एवं सांसद फंड इत्यादि के प्रभारी पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
- समाधानों से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न स्तर के जिम्मेवार संस्थानों, पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से अलग–अलग संपर्क किया जा सकता है, जैसे– पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्य एवं मुखिया, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि।
- संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को बाल संसद से प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव दिया जा सकता है।
- विद्यालय स्तरीय कई कार्य स्थानीय समुदाय, अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाध्यक एवं शिक्षकों के सहयोग से तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है।

5-4 जानकारी/ज्ञान एवं कौशल हेतु क्षमता वृद्धि करने की प्रक्रिया

- बच्चों में विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी व कौशल विकास हेतु नियमित रूप से विभिन्न गतिविधियाँ यथा, गीत–संगीत, चित्रकारी, क्विज, वाद–विवाद, खेल, निबंध, प्रभात फेरी, स्लोगन लेखन, नुक्कड़ नाटक, रोल प्ले इत्यादि कार्य कराया जाए।

- बाल प्रेरकों की चयन प्रक्रिया निम्नरूपेण है–
    - o बाल प्रेरक के रूप में वैसे बच्चे का चयन किया जाये जिनका संवाद सम्प्रेषण अच्छा हो। बाल प्रेरकों का चयन बच्चों द्वारा ही किया जाएगा।
    - o बाल प्रेरक के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में केवल चौथी एवं पाँचवीं कक्षा के 4–5 बच्चे को बाल प्रेरक के रूप में चयन किया जाये ताकि पाँचवीं कक्षा के चयनित बाल प्रेरेक दूसरे विद्यालय के छठी वर्ग में चले जाने की स्थिति में चौथी वर्ग के बच्चे अगर शुरूआत से ही बाल प्रेरक के रूप में तैयार रहेगें तो एकाएक कक्षा बदलने से कार्य बाधित नहीं हो सकेगा। अतएव प्राथमिक विद्यालयों में चौथी वर्ग के बच्चे को भी बाल प्रेरक के रूप में तैयार किया जाय।
    - o इसी प्रकार अपर प्राईमरी या मध्य विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 के 3–3 बच्चे को बाल प्रेरक के रूप चयन किया जाय।
    - o बाल प्रेरक में बाल–संसद एवं मीना मंच के छात्र– छात्राओं को भी शामिल किया जा सकता है।
- बाल प्रेरक को विभिन्न विषयों जैसे– भूकंप, बाढ़, अगलगी, ठनका/वज्रपात, सड़क दुर्घटना, भगदड़, सुखाड़, सर्पदंश, जलवायु परिवर्तन, पेयजल, स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन, डायरिया प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव, स्वास्थ्य एवं पोषण इत्यादि पर प्रशिक्षित कराया जाये।
- विद्यालय के अन्य सभी बच्चे को विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी व कौशल विकास हेतु बाल प्रेरक के द्वारा पढ़ाने (पीयर–टू–पीयर एजुकेशन) की विधि का ही प्रयोग किया जाये।
- प्रत्येक प्रशिक्षित बाल प्रेरक को अलग–अलग कक्षा के बच्चों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेवारी बाँट कर सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के अनुरूप प्रत्येक शनिवार को सीखाने हेतु प्रेरित किया जाए। जब ये बाल प्रेरक अन्य बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हों, तब उन्हें उत्साहित किया जाए और यथासंभव उन्हें सुझाव, सलाह भी दिया जाए।
- बाल प्रेरकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित एवं उनके क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होगी।

अनुलग्नक –6

Lkjf{kr 'kfuokj dh okf"kZd & lkj.kh

lIrkg	xehZ			Ckjlkr				tkMk ¼lnhZ½				xehZ dh NqV~Vh
	vizSy	ebZ	twu	tqykbZ	vxLr	flrEcj	vDVwcj	uoEcj	fnlEcj	tuojh	Qjojh	ekpZ
iFke 'kfuokj	Qkdy f'k{kd ,oa cky ijkdk dk p;u	fo|ky; vkink icU/ku ;kstuk dk l`=.k	vius xkao ds cPpksa ds lkFk xkao @ Vksys @ egYys dk cky lqj{kk lfefr ds enn ls ekufp= gtkMZ gV	gkFk èkqykbZ] 0;fDrxr LoPNrk] vklikl dh lkQ&lQkbZ] dpjk icU/ku dh tkudkjh ,oa vH;kl	i;kZoj.k ds v'kq)rk ls gksus okys [krjs ,oa blds mik; ds ckjs esa tkudkjh	Mk;fj;k ds lcèk esa tkudkjh rFkk vks-vkj-,l- cukus ls lacfèkr dk'ky if'k{k.k ,oa vH;kl	n'kgjk @ NB @ egjZe vkfn ioksZ esa HkhM+ ,oa HkxnM+ lcèkh tkf[ke ,oa cpko ¼ikfFkfed mipkj] lh-ih-vkj- lfgr½	HkxnM+ lcèkh tkf[ke ,oa cpko ds lnHkZ esa tkudkjh	fuekZ.k;k ,oa lnhZ& [kkalh @ tqdke] vkx [k ,oa Ropk dk lØe.k] ppd ls [krjs rFkk blds cpko ds mik; dh tkudkjh	'khrygj rQku ls [krjs ,oa blds mik; ds ckjs esa tkudkjh	Hkdai ls [krjs ,oa cpko ds ckjs esa tkudkjh ¼ekdfMªy½	vxyxh ls [krjs ,oa cpko ds lnHkZ esa tkudkjh
f}rh; 'kfuokj	fo|ky; vkink icU/ku lfefr dk xBu @ iqu%xBu	fo|ky; vkink icU/ku ;kstuk dk l`=.k	vodk'k ds nkSjku gtkMZ gV ,oa vxyxh ls cpko dk vH;kl	HkwdEi ds lnHkZ- esa dk'ky fodkl] ekdfMªy rFkk vH;kl	Ckk<+ ls [krjs ,oa cpko ds mik;] dk'ky fodkl ,oa if'k{k.k rFkk vH;kl ¼ekdfMªy½	jsy @ lM+d nq?kZVuk ls cpko ds lnHkZ esa tkudkjh	Ukko nq?kZVuk ,oa ikuh esa Mcus ls cpko ds lnHkZ esa tkudkjh	Ukko nq?kZVuk ,oa ikuh esa Mcus ls cpko ds lnHkZ esa tkudkjh	gkFk èkqykbZ] [kqys esa 'kkSp ds [krjs] lqjf{kr ey dk fuiVku ds lnHkZ esa tkudkjh	jsy @ lM+d nq?kZVuk ls [krjs ,oa mik; ds lnHkZ esa tkudkjh	daik"k.k ls gksuokyh ij'kkfu;k ,oa mlds lekèkku ds lnHkZ esa tkudkjh	pØokr rQku @ vkèkh ls [krjs ,oa blls cpko ds mik; ds ckjs esa lkoèkkuh
r`rh; 'kfuokj	gtkMZ gV	ctikr ¼Budk½ ,oa pØokr rQku @ vkèkh ls [krjs ,oa blds mik; ds ckjs esa tkudkjh	vodk'k ds nkSjku gtkMZ gV ,oa yw @ xje gok] otikr ls cpko dk vH;kl	otikr ls cpko dh tkudkjh	lki&fcPNw ,oa vU; fo"kSys Tkho&tUrqvksa ds dkVus ls gksuokyh ij'kkfu;ka ,oa lekèkku ds lnHkZ esa tkudkjh	Hkdai ls [krjs ,oa cpko ds ckjs esa tkudkjh ¼ekdfMªy½	nhokyh ds iVk[kksa ,oa in"k.k ls mRiUu LokLF; lcèkh tkf[ke ,oa cpko ds lnHkZ esa tkudkjh	Hkdai ls [krjs ,oa cpko ds ckjs esa tkudkjh ¼ekdfMªy½	ty ,oa Hkfe dk lqj{k.k] ok;q in"k.k ,oa iM&ikèkks dk lqj{k.k ds lnHkZ esa tkudkjh	Hkdai ds lnHkZ esa dk'ky fodkl ,oa if'k{k.k rFkk vH;kl ¼ekdfMªy½	fctyh ls ?kkr] ty tekO ls ij'kkfu;ka rFkk ckfjx ds xÔ ls gksuokyh ?kVukvksa ds ckjs esa tkudkjh	Mk;fj;k ds lcèk esa tkudkjh rFkk vks- vkj- ,l- cukus ls lacfèkr dk'ky if'k{k.k ,oa vH;kl
prqFkZ 'kfuokj	vxyxh ls [krjs ,oa cpko ds ckjs esa tkudkjh	vxyxh] yw ls [krjs ,oa cpko ds lnHkZ esa tkudkjh	vodk'k ds nkSjku vius xkao ds cPpksa ds lkFk xkao@ Vksys dk gtkMZ gV ,oa vkink icU/ku ;kstuk dk fuekZ.k	Ckk<+ ls cpko gsrq dk'ky fodkl ,oa if'k{k.k rFkk vH;kl ¼ekdfMªy½	Ukko nq?kZVuk ,oa ikuh esa Mcus ls cpko ds lnHkZ esa tkudkjh	Ckky vfèkdkj] cky fookg] cky 'kks"k.k rFkk cPpksa ls NsMNkM+ ds lnHkZ esa tkudkjh	lM+d nqèkZVuk ls cpko ds ln- HkZ esa tkudkjh	Ckky vfèkdkj] cky fookg] cky 'kks"k.k rFkk cPpksa ls NsMNkM+ ds lnHkZ esa tkudkjh	'khrygj ls [krjs ,oa blls cpko ds mik;, ds ckjs esa tkudkjhA	Ckky vfèkdkj] cky fookg] cky 'kks"k.k rFkk cPpksa ls NsMNkM+ ds lnHkZ esa tkudkjh	ty ,oa Hkfe dk lqj{k.k] ok;q in"k.k ,oa iM&ikèkks dk lqj{k.k ds lnHkZ esa tkudkjh	AES/JE ls cpko ds ckjs esa tkudkjh

- fdlh ekg ikpoa 'kfuokj iMus dh fLFkfr esa cPpksa dk LoPNrk lacfèkr tkudkjh nsxs ,oa mldk vH;kl djk;xsA
- tqykbZ ds iFke i[kokjs esa fo|ky; lqj{kk i[kokjk rFkk 4 tqykbZ dk fo|ky; lqj{kk fnol iR;sd fo|ky; esa vk;ksftr gksxkA fo|ky; lqj{kk i[kokjs esa {k= fo'k"k dks iHkkfor djus okys lHkh vkinkvksa ¼lq[kkM- lfgr½ ij vkèkkfjr dk;Øe fd;s tk,xsA
- LFkkuh; fo'k"k dkj.kks ls lIrkg esa of.kr xfrfofèk;ksa dk vkx&ihNs fd;k tk ldrk gSA
- fo|ky; esa ykbZ NÎh gksus dh fLFkfr esa cPpksa dk gkeodZ ds :i esa fo|ky; lqj{kk ls lacfèkr fo"k;ksa dk vH;kl ,oa mlij ppkZ djus lcèkh dk;Z fn;s tk,A

अनुलग्नक– 7

jkT; Lrj l fo|ky; Lrj rd dh izf'k{k.k dk;l;ktuk&

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कॉस्केड मोड के आधार पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह लक्ष्य होगा कि राज्य के सभी शिक्षकों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी हो जाए। अतएव इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण कैलेंडर उसी लक्ष्य के अनुरूप तैयार किये जाए।

सभी प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉडयूल का मुद्रण भी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा एवं उसके वितरण की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग/बिहार शिक्षा परियोजना की होगी। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं सामग्रियों पर होने वाला व्यय भी प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

इसी प्रकार जिला स्तरीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण सामान्यतया जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के सहयोग से होगा। जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक के प्रशिक्षण पर होनेवाले व्यय राशि की व्यवस्था शिक्षा विभाग को करनी होगी। जिस जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत नहीं है वैसे जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्थान चयनित कर प्रशिक्षण आयोजित कराये जाएगें। राज्य स्तर से विद्यालय स्तर तक का प्रशिक्षण निम्न प्रकार से आयोजित किये जाएंगें–

jkT; Lrjh; izf'k{k.k ¼vkoklh;½] vkofÙk % o"kZ esa ,d ckj ¼tuojh ls ekpZ@vizSy rd½			
izf'k{k.k esa izfrHkkxh	izf'k{k.k ds eqn~ns	izf'k{k.k vof/k	Lkzksr O;fDr @ izf'k{kd
10 प्रखंड से ज्यादा वाले जिले से 6 शिक्षक एवं 6 शिक्षिका, निजी विद्यालय से 2 शिक्षक/शिक्षिका, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सिविल डिफेंस कर्मी एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के एक व्याख्याता एवं मदरसों के एक प्रतिभागी लिए जाएंगें अर्थात् कुल 18 प्रतिभागी। 10 प्रखंड से कम वाले जिले से 4 शिक्षक एवं 4 शिक्षिका, निजी विद्यालय से 2 शिक्षक/शिक्षिका, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सिविल डिफेंस कर्मी एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के एक व्याख्याता एवं मदरसों के एक प्रतिभागी लिए जाएंगें अर्थात् कुल 14 प्रतिभागी। नोट– ऐसे प्रतिभागियों का चयन किया जाए जो पूर्व से प्रशिक्षक के रूप में कार्य का चुके हैं एवं प्रशिक्षण कार्य करने हेतु इच्छुक हैं। (40–50 प्रतिभागी प्रति बैच) इस प्रकार विभिन्न बैचों में राज्य स्तर पर जनवरी से मार्च माह तक आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।	–विद्यालय सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी एवं संचालन प्रक्रिया –आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जानकारी –बिहार के बहु आपदा प्रवणता पर विस्तृत चर्चा –पाठ्य–पुस्तक में आपदा से संबंधित पाठ की खोज एवं उस पर चर्चा –आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण पर चर्चा –जोखिमों की पहचान एवं उससे निपटने पर चर्चा –आई0ई0सी0 सामग्रियों के उपयोग के बारे में जानकारी –सुरक्षित शनिवार के विषय–वस्तु एवं वार्षिक सारणी के अनुसार जानकारी, कौशल विकास एवं मॉकड्रिल	3 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	राज्य स्तर पर विशेषज्ञों दल एवं पूर्व प्रशिक्षित (एन0 डी0 आर0 एफ0, एस0 डी0 आर0 एफ0,) अग्निशमन सेवा के पदा0, बि0 रा0 आ0 प्र0 प्राधिकरण, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, यूनिसेफ तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा।

प्रत्येक जिले के आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, डी0ई0ओ0, डी0पी0ओ0, निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/अ.जा.एवं ज.जा. विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी, मदरसा बोर्ड एवं संस्कृत बोर्ड के प्रतिनिधि, मीडिया संभाग के जिला समन्वयक, गृह रक्षा वाहिनी के जिला कमांडेन्ट तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं एक व्याख्याता । (40 प्रतिभागी प्रति बैच) कुल 05 बैचों में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।	– कार्यक्रम का उद्देश्य – कार्यक्रम की रूप–रेखा – कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन प्रकिया पर विस्तृत चर्चा –सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के बारे में जानकारी –प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों के चयन प्रक्रिया पर चर्चा।	एक दिवसीय उन्मुखीकरण	–तथैव–
ftyk Lrjh; izf'k{k.k ¼xSj vkoklh;½			
सभी प्रखंड साधनसेवी, सभी प्रखंड से दो–दो संकुल समन्यवक, प्रत्येक प्रखंड से दो शिक्षक एवं दो शिक्षिका तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के एक व्याख्याता। (40 प्रतिभागी प्रति बैच)	–विद्यालय सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी एवं संचालन प्रक्रिया –आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जानकारी –बिहार के बहु आपदा प्रवणता पर विस्तृत चर्चा –पाठ्य–पुस्तक में आपदा से संबंधित पाठ की खोज एवं उस पर चर्चा –आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण पर चर्चा –जोखिमों की पहचान एवं उससे निपटने पर चर्चा –आई0ई0सी0 सामग्रियों के उपयोग के बारे में जानकारी –सुरक्षित शनिवार के विषय–वस्तु एवं वार्षिक सारणी के अनुसार जानकारी, कौशल विकास एवं मॉकड्रिल	3 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी	– कार्यक्रम का उद्देश्य – कार्यक्रम की रूप–रेखा – कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन प्रकिया पर विस्तृत चर्चा –सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के बारे में जानकारी –प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों के चयन प्रक्रिया पर चर्चा।	एक दिवसीय उन्मुखीकरण	जिले के आपदा प्रबंधन के प्रभ. ारी पदाधिकारी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, डी0. ई0ओ0, डी0पी0. ओ0, मीडिया संभाग के जिला समन्वयक

i|[kM Lrjh; i|f'k{k.k ¼x|j vkoklh;½			
सभी संकुल समन्यवक, प्रत्येक संकुल से नामित शिक्षक (फोकल शिक्षक) प्रत्येक संकुल से दो शिक्षक एवं दो शिक्षिका। (प्रखंड शिक्षा पदा0 एवं प्रखंड साधनसेवी अतिथि के रूप में मौजूद रहेगें) (40 प्रतिभागी प्रति बैच)	–विद्यालय सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी एवं संचालन प्रक्रिया –आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जानकारी –बिहार के बहु आपदा प्रवणता पर विस्तृत चर्चा –पाठ्य–पुस्तक में आपदा से संबंधित पाठ की खोज एवं उस पर चर्चा –आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण पर चर्चा –जोखिमों की पहचान एवं उससे निपटने पर चर्चा –आई0ई0सी0 सामग्रियों के उपयोग के बारे में जानकारी –सुरक्षित शनिवार के विषय–वस्तु एवं वार्षिक सारणी के अनुसार जानकारी, कौशल विकास एवं मॉकड्रिल	3 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	जिला स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक
l|dy Lrjh; i|f'k{k.k ¼x|j vkoklh;½			
प्रत्येक विद्यालय से बाल प्रेरक एवं बाल संसद के प्रधान मंत्री, बाल सुरक्षा मंत्री एवं उप मंत्री, मध्य विद्यालय के मीना मंच से एक मीना	–विद्यालय सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी एवं संचालन प्रक्रिया –आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जानकारी –बिहार के बहु आपदा प्रवणता पर विस्तृत चर्चा –पाठ्य–पुस्तक में आपदा से संबंधित पाठ की खोज एवं उस पर चर्चा –आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण पर चर्चा –जोखिमों की पहचान एवं उससे निपटने पर चर्चा –आई0ई0सी0 सामग्रियों के उपयोग के बारे में जानकारी –सुरक्षित शनिवार के विषय–वस्तु एवं वार्षिक सारणी के अनुसार जानकारी, कौशल विकास एवं मॉकड्रिल	3 दिवसीय प्रशिक्षण	प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक
fo|ky; Lrjh; mUe|[khdj.k			
प्राचार्य, सभी शिक्षक, सभी बाल प्रेरक, सभी बाल संसद एवं मीना मंच सदस्य, अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति /विद्यालय शिक्षा समिति के सभी सदस्य नोट–यह प्रशिक्षण प्रधानाचार्य कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कर लेंगे।	– कार्यक्रम का उद्देश्य – कार्यक्रम की रूप–रेखा – कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन प्रकिया – सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के बारे में जानकारी	एक दिवसीय उन्मुखीकरण	संकुल स्तर पर प्रशिक्षित फोकल शिक्षक एवं संकुल समन्वयक

अनुलग्नक– 8

fo|ky; lqj{kk dk;Øe dk vuqJo.k i=

¼iz[kaM lalk/kuloh ,oa ladqy leUo;d ds mi;ksx gsrq½

fo|ky; dk uke%& -- iz[k.M%& ------------------------ ftyk%& ---------------------------

Hkze.k frfFk%&--- Hkze.kdŸkk dk uke ,oa inuke %& ---------------------------------

dze la	xfrfofèk;ka	izxfr dh fLFkfr ¼gka ;k Ukgh esa crk;sa½	izxfr ugha gksus dk dkj.k ;fn dksbZ gks
1	विद्यालय परिवार का विद्यालय सुरक्षा विषय पर उन्मुखीकरण		
2	विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन		
3	विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण		
4	हजार्ड हंट/ जोखिमो की पहचान हेतु अभ्यास		
5	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण		
6	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना को विद्यालय परिवार को साझा करना		
7	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का विद्यालय विकास योजना से सम्मिलित किया गया है		
8	बाल प्रेरक (पीयर एजुकेटर) का चयन		
9	बाल प्रेरक (पीयर एजुकेटर) का प्रशिक्षण		
10	विद्यालय परिवार का बहु–आपदा से बचाव आधारित क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण		
11	विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति की मासिक बैठक होती है।		
12	विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के कारण बच्चो के परिवारों को आपदाओं से बचाव के बारे मे जानकारी हुई		
13	सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को गतिविधियाँ का संपादन किया जा रहा है।		

Hkze.kdŸkk dh fVIi.kh@ lq>ko %&

fo|ky; lqj{kk Qksdy f'k{kd vFkok iz/kkuk/;kid ds lq>ko%&

Hkze.k dŸkk dk gLrk{kj

अनुलग्नक– 9

vkb0b0lh0 lkefxz;ksa dk mi;ksx ls lacfa/kr dk;Z;kstuk&

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत् आयोजित होनेवाले सुरक्षित शनिवार के वार्षिक–सारणी के विषय–वस्तु पर आधारित आई0ई0सी0 सामग्री (विषयवार कैलेन्डर या बॉक्स के रूप में बनाकर) सभी विद्यालयों में भेजा जाएगा। प्राईमरी विद्यालयों के लिए सभी आई0ई0सी0 सामग्रियों का दो–दो सेट एवं अपर प्राईमरी विद्यालयों के लिए चार–चार सेट के हिसाब से मुद्रण कराकर राज्य स्तर से प्रखंड संसाधन केन्द्र में भेजा जाएगा। प्रखंड संसाधन केन्द्र तक इसे पहुँचाने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग/बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की होगी। प्रखंड संसाधन केन्द्र से प्रत्येक विद्यालय के फोकल शिक्षक या विद्यालय के अन्य शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक को हस्तगत कराया जाएगा। आई0ई0सी0 सामग्रियॉ विद्यालय में ही सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका उपयोग प्रत्येक शनिवार को वार्षिक–सारणी के अनुसार निर्धारित विषयों के बारे में बच्चों को जानकारी, कौशल विकास, अभ्यास एवं उनके व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। आई0ई0सी0 सामग्रियों का मुद्रण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा एवं उसके वितरण की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की होगी। आई0ई0सी0 सामग्रियों के विषय–वस्तु निम्न प्रकार होगें–

- बाढ़, सूखा, अगलगी, शीतलहर, लू (गरम हवाओं का चलना), वज्रपात (ठनका गिरना), आँधी /चक्रवाती तूफान।
- भूकंप, सड़क दुर्घटना, पानी में डूबना, नाव दुर्घटना, भगदड़, बिजली से घात ।
- जीव–जन्तुओं के काटने से होनेवाली घटनाएँ– सर्पदंश।
- स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, AES è JE संबंधी जानकारिया
- स्वच्छता संबंधी।
- बाल सुरक्षा संबंधी।
- जलवायु परिवर्तन।
- "nl dk ne" – Preventive Health /रोगों की रोकथाम संबंधी जानकारियाँ

कार्यक्रम क्रियान्वयन दस्तावेज

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

शिक्षा विभाग/बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

मुद्रण–जनवरी 2018, संख्या : 1,50,000 प्रतियाँ